

Loan Agreement/ऋण समझौता

This Loan Agreement ("Agreement") is executed between Fincfriends Private Limited, a Company incorporated under the provisions of Companies Act 2013 having its registered office at BHIVE Workspace, No.467/468, Shri Krishna Temple Road, Indiranagar 1st Stage, Bengaluru, Karnataka – 560038 and corporate office at 7th Floor, Vatika Triangle, Mehrauli Gurgaon Road, B Block, Sushant Lok Phase I, Gurgaon, Haryana-122002 (hereinafter referred to as "Lender" which expression shall, unless repugnant to the context, include its successors and assigns) and Borrower, the particulars whereof are described and set out in Schedule I.

The Borrower has applied for a Loan facility and the Lender has sanctioned the same in the form of Revolving Credit Line which will be governed by under given terms and conditions read together with the Sanction Letter. Borrower agrees and undertakes that each Loan taken by the Borrower within such approved credit line will be subject to the clauses of the Agreement, as amended from time to time, and the grant of each Loan within the limits of the credit line will be subject to the Borrower's fulfilment of the Lender's then subsisting credit policy.

The Lender and Borrower are hereinafter collectively referred to as "Parties" and individually as "Party".

WHEREAS:

- A. The Lender is a non-banking financial company, inter alia, engaged in the business of providing personal loans/ credit facilities to various customers.
- B. The Borrower has requested the Lender to grant the Loan to the Borrower and the Lender, relying upon the representations made and information provided by the Borrower, has agreed to grant the Loan to the Borrower, on the terms and conditions contained in this Agreement and in other Loan Documents, up to the maximum principal amount and maximum tenor as mentioned in Schedule I, and for the purpose as mentioned in the Loan Application, in its sole and absolute discretion.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and other good and valid consideration, the receipt and adequacy of which is expressly acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

यह **ऋण समझौता** कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय वर्कस्पेस, नंबर 467/468, श्री कृष्ण मंदिर रोड, इंदिरानगर फर्स्ट स्टेज, बेंगलुरु कर्नाटक - 560038 है और जिसका कॉपोरेट कार्यालय 7वीं मंजिल, वाटिका ट्रायंगल, महरौली गुड़गांव रोड, बी ब्लॉक, सुशांत लोक फेज़-1, गुड़गांव, हरियाणा-122002 में है (इसके बाद इसे "ऋणदाता" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा और उसमें उनके उत्तराधिकारी और नामित भी सम्मिलित होंगे) जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल नहीं हो और ऋणकर्ता के मध्य निष्पादित किया गया है, जिसका विवरण अनुसूचि 1 में वर्णित और निर्धारित किया गया है।

ऋणकर्ता ने ऋण सुविधा के लिए आवेदन किया है और ऋणदाता ने परिक्रामी क्रेडिट लाइन के रूप मे इसे स्वीकृति दी है जो स्वीकृतिपत्र में वर्णित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी। ऋणकर्ता इस बात से सहमत है और वचन देता है कि ऐसी अनुमोदित क्रेडिट लाइन के तहत लिया गया हर ऋण इस समझौते की शर्तों के अधीन होगा, जिसे समय-समय पर बदला जा सकता है और क्रेडिट लाइन की सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत हर ऋण ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता की तत्कालीन क्रेडिट पॉलिसी की पूर्ति के अधीन होगा।

इसके बाद ऋणदाता और ऋणकर्ता को "**पार्टीज़**" और व्यक्तिगत रूप से उन्हें "**पार्टी**" कहा जाएगा।



जबकि:

- A. उधार देने वाली कम्पनी एक गैर वित्तीय बैंकिंग कम्पनी है जो विभिन्न ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण /क्रेडिट सुविधा देती है।
- B. ऋणकर्ता ने ऋणदाता से ऋण के लिए निवेदन किया है। ऋणदाता ने ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन एवं दी गई जानकारी तथा समझौते में प्रस्तुत नियमों व शर्तों के साथ ऋण सम्बन्धी अन्य दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचि 1 में उल्लिखित अधिकतम मूल राशि को अधिकतम अविध के लिए दिए गए उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत और पूर्ण विवेक के आधार पर देना स्वीकार किया है।

अब, इसलिए पूर्ववर्ती तथा अन्य सुचारु एवं वैध विवेचना करते हुए दोनों पार्टियां निम्न रूप में सहमत हैं जिसकी लिख और उपयुक्तता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है,:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS/ परिभाषा और व्याख्या

1.1 Definitions/ परिभाषा

For the purposes of this Agreement, in addition to the terms defined in the description of the Parties: (a) all capitalized words and expressions defined by inclusion in quotation and/or parenthesis anywhere in this Agreement, have the same meanings as ascribed to such words and expressions; (b) words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in General Clauses Act, 1897; and (c) following words and expressions shall have the meaning as set-out in this Clause 1:

- 1. "Advance EMI" means the payment of EMIs made to the Lender prior to the respective Due Date in respect of their loan amount.
- 2. "Agreement" means and includes this Agreement, together with all the schedules, exhibits, addendums, attachments and appendices annexed hereto and all amendments/supplements hereto and restatements hereto.
- 3. "Applicable Law" means the 'Indian Law' as per the General Clauses Act, 1897.
- 4. "APR" means the Annual Percentage Rate which is an annualized rate charged by the Lender from the Borrower and based on all-inclusive cost of funds, processing fee, optional term fee, SMS alert collection charges, insurance charges, Interest Rate etc. and the margin of the Lender and exclude contingent charges like Penal Charges etc.
- 5. "Available Loan Limit" means amount of Loan available for draw down by the Borrower out of the Sanctioned Loan Limit.
- 6. **"Bank Account"** means the bank account where the Loan disbursement is requested by the Borrower.
- 7. **"Cooling off/ look-up period"** is the time window equal to the 1st (first) grace period as determined by the Board of the Lender which shall be given to Borrower for exiting Loan, in case Borrower decides not to continue with the Loan.
- 8. "Digital Lending Application/DLA" means the digital application belonging to technical services provider 'Vivamoney Solutions Private Limited' that allows the Borrower to make withdrawals, make repayments, change payment dates and provides full access to the Loan management.
- 9. "Disbursal Schedule" refers to the planned timeline and method by which the loan amount will be released to the Borrower. This schedule includes details on whether the loan will be disbursed 100% upfront or in a lump sum (full disbursement) or in stages (stage-wise disbursement), and the timing of these disbursements.
- 10. "Due Date" means in respect of:



- a. the Monthly Instalment and/or Outstanding Dues, the respective Repayment Dates;
- b. the interest on the Outstanding Dues, the Interest Payment Date; and
- any other amount payable under the Loan Documents, the date on which such amount falls due in terms of the Loan Documents, or on demand if the due date is not specified in such Loan Document;
- 11. "Early Repayment/Foreclosure Charges" means the additional, contingent amount payable by the Borrower to the Lender for repayment of the Outstanding Dues.
- 12. "EMI reschedule Fee" means the additional, contingent fee charged by the Lender from the Borrower, in case such service is selected by the Borrower during the repayment of the Loan.
- 13. "Grace Period" is the time period during which the Borrower can exit the Loan by repaying the principal amount and the proportionate APR without any penalty. The duration of Grace Period will be 20 (twenty) to 51 (fifty-one) days.
- 14. "First Grace Period" refers to the Grace Period available to the Borrower for the first time after the execution of this Loan Agreement.
- 15. "Interest Rate" means the rate of interest in relation to the Loan as mentioned in Schedule I, Sanction Letter and KFS;
- 16. "KFS" means Key Fact Statement, as provided in Schedule I, to be issued by the Lender to the Borrower and shall inter-alia contain the details of APR, details of contingent charges and other disclosures like Cooling off/Look up period, details of Service Provider acting as recovery agent and authorized to approach the Borrower, details of Nodal Grievance Redressal Officer designated specifically to deal with FinTech/ digital lending related complaints/ issues etc;
- 17. "Limit Increasing Fee" refers to the additional, contingent fee charged to the Borrower for consideration of the Borrower's Loan application for a credit limit increase. The fee is chargeable even if the Borrower's application is rejected by the Lender.
- 18. "Loan Amount" means the loan amounts drawn down by the Borrower from the Lender within the limits of the revolving credit line as specified in the Schedule of this Agreement. Provided that, where multiple drawdowns are permitted under a single Sanction Letter, the term "Loan" shall apply to each of these drawdowns singly and together and the Borrower's eligibility to make each drawdown will be subject to the Borrower satisfying the Company's credit policy as in force at the time of each drawdown.
- 19. "Loan Application" means the Loan application, in the form and manner provided and acceptable to the Lender together with such documents and information as may be required by the Lender, filled in and submitted by the Borrower to the Lender in relation to the Loan
- 20. "Loan Documents" means collectively:
 - a. Loan Application
 - b. KFS
 - c. Sanction Letter
 - d. this Agreement, and
 - e. any other document executed from time to time pursuant to any of the foregoing to which the Borrower or the Lender is a party.
- 21. **"Optional Term Fee"** is the additional, contingent fee charged to the Borrowers based on the repayment term availed by the Borrower, to be payable with the first EMI. This fee is chargeable only in the event the Borrower fails to repay the Loan during the Grace Period.
- 22. "Outstanding Dues" means, at any point of time, all the amounts outstanding and payable



or obligations to be performed by the Borrower to the Lender, pursuant to the terms of this Agreement and/or any other Loan Documents, including but not limited to the following:

- a. the principal amount(s) of the Loan;
- b. the interest on the Loan;
- all other obligations and liabilities of the Borrower, indemnities, liquidated damages, costs, charges, expenses and other fees and interest incurred under, arising out of or in connection with this Agreement and/or any other Loan Documents (either severally or jointly); and
- d. any and all expenses or sum incurred by the Lender for the enforcement of and collection of any amounts due under this Agreement and/or any other Loan Documents, including expenses of enforcement and realization;
- 23. "Penal Charge" refers to the additional, contingent charge which is payable by the Borrower to the Lender as a penalty in case of default in repayment of the Monthly Instalments and/or Outstanding Dues by the Borrower, being charged on a cumulative basis.
- 24. "Processing Fee" refers to the fee charged to the Borrower at each disbursal, as per Schedule I. The fee is structured as: (1) 1st Month of Withdrawal, refers to the calendar month in which the Borrower makes the first withdrawal, regardless of the specific date (e.g., if the first withdrawal is on November 28, the month of November is considered the 1st Month), and (2) Subsequent Withdrawals, refer to withdrawals made in the calendar months following the First Month. The fee structure applies to all withdrawals, irrespective of the number of tranches, and the fee shall be deducted at the time of each withdrawal.

25. "Repayment Date"

- a. in relation to the Monthly Instalments, means the date, on or before which each Monthly Instalment is to be repaid by the Borrower, commencing from the date of the disbursement of Loan or the date on which the Loan is booked by the Lender in the name of the Borrower in the Lender's books, whichever is earlier; and
- b. in relation to the Outstanding Dues means the date, on or before which, the entire Outstanding Dues is to be repaid by the Borrower.
- 26. "RBI" means the Reserve Bank of India.
- 27. "Revolving Credit Line" is the credit limit which is sanctioned and available to the Borrower by the Lender and the Borrower is entitled to advance, repay and readvance the amount under the credit limit, from time to time, subject to the terms & conditions mentioned in this Agreement, provided that the utilized credit limit which is unpaid shall not exceed the Sanctioned Loan Limit, at any given point of time.
- 28. "Sanction Letter" means the letter, as provided in Schedule I, issued by the Lender sanctioning the Loan along with the relevant particulars, terms and conditions mentioned in the same.
- 29. **"Sanctioned Loan Limit"** means the maximum Loan amount that Borrower can take from the Lender.
- 30. "SMS Charge" means the monthly contingent fee payable by the Borrower for subscribing to the SMS notification service, which includes without limitation, alerts for deposits, payment reminders, repayment notifications, and updates for transfer of money to external account ('SMS Service'). This charge applies solely when the Borrower opts-in for this service and may be discontinued by the Borrower at any time.
- 31. "Tenor of Loan" shall mean the tenure of the Loan as specified in Key Fact Statement (KFS) and any extension of the Loan provided by the Lender to the Borrower.



32. "Website" means the website of the Lender, presently being www.fincfriends.com.

इस समझौते के मद्देनजर पार्टियों के विवरण में परिभाषित शर्तों के अलावा: (a) बड़े अक्षरों में छपे सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जिन्हें इस समझौते में कहीं अन्य किसी उद्धरण और /अथवा कोष्ठक में सम्मिलित किया गया है, भी वही अर्थ है जो कि उन शब्दों और अभिव्वित्तयों का है। (b) यहां प्रयुक्त अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लॉजेज़ ऐक्ट, 1897 में है। (c) और निम्न शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इस खंड 1 में निर्धारित है:

- "एडवांस ईएमआई" का अर्थ है वह ईएमआई जिसका भुगतान ऋण राशि के तहत पूर्व निर्धारित तिथि के पहले ही ऋणदाता को किया गया है।
- 2. **"समझौते"** यहां पर समझौते का तात्पर्य इस समझौते से एवं इसमें समाहित सभी अनुसूचियों, दस्तावेजों, परिशिष्टों, संलग्नकों, उन अन्य शेष संग्रहों से है जिनको इस दस्तावेज के साथ पूरक अंश की तरह जोड़ा गया है तथा साथ ही सभी संशोधनों/ सम्पूरक अंगों तथा पुनर्कथनों से भी है।
- 3. **"एप्लीकेंबल लॉ"** का अर्थ है जनरल क्लॉजेज़ ऐक्ट,1897 के अनुसार 'भारतीय) कानून'।
- 4. **"एपीआर"** का अर्थ वार्षिक प्रतिशत दर है जो ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता से ली जाने वाली वार्षिक दर है। और जो धनराशि की सभी समावेशी लागत, प्रसंस्करण शुल्क, वैकल्पिक अविध शुल्क, एसएमएस अलर्ट, संग्रह शुल्क, बीमा शुल्क, ब्याज दर आदि और ऋणदाता के मार्जिन पर आधारित होता है पर दंडात्मक शुल्क आदि जैसे प्रासंगिक शुल्क इसमें शामिल नहीं है।
- 5. **"उपलब्ध लोन लिमिट"** का अर्थ है वह अनुमोदित ऋण राशि जिसे ऋणकर्ता आहरित कर सकता है।
- 6. **"बैंक अकाउंट"** का अर्थ है वह बैंक खाता जिसे ऋणकर्ता ने ऋणप्राप्ति के लिए अनुमोदित किया है।
- 7. "कूलिंग ऑफ/लुक-अप पीरियड" वह समय अवधि है जिसे ऋणदाता ऋणकर्ता को ऋणविमुक्त होने के लिए प्रदान करता है और इस अवधि का निर्धारण ऋणदाता की समिति द्वारा किया जाता है एवं यह पहली रियायत अवधि के बराबर होता है। इसका उपयोग उस अवस्था में होता है जब ऋण कर्ता उऋण होना चाहता है।
- 8. "डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन/डीएलए" का अर्थ है तकनीकी सेवा प्रदाता 'विवामनी सॉल्यूशंश प्राइवेट लिमिटेड' से सम्बद्ध डिजिटल एप्लीकेशन जो ऋणकर्ता को धननिकासी, पुनर्भुगतान, भुगतान के दिनांक में परिवर्तन और पूरी तरह ऋण-प्रबन्धन करने की अनुमित देता है।
- 9. "डिसबर्सल शिड्यूल" का अर्थ है नियोजित समयसीमा और तरीका जिसके अनुसार ऋणकर्ता के लिए ऋणराशि जारी की जाएगी। इस शिड्यूल में इन तथ्यों का विवरण रहता है कि क्या ऋण का संवितरण 100% अग्रिम रूप में या एकमुश्त (पूर्ण संवितरण) या चरणों में (चरण वार संवितरण) किया जाएगा और इन संवितरणों का समय शामिल रहता है।
- 10. **"ड्यू डेट"** का अर्थ है,
 - a. मासिक किश्त और/बकाया धनराशि सम्बद्ध पुनर्भुगतान तिथियां;
 - b. बकाया धनराशि पर ब्याज, ब्याज भुगतान की तिथिं; और
 - क्रण दस्तावेजों के तहत देय अन्य कोई राशि, वह दिनांक जिस दिन ऋण दस्तावेजों के तहत ऐसी राशि देय होती है या यदि ऋण दस्तावेजों में देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है तो जिस तिथि को मांगा गया है वह तिथि शामिल होती है।
- 11. **"समयपूर्व पुनर्भुगतान/फोर क्लोजर शुल्क**" वह अतिरिक्त आकस्मिक राशि है जो ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को बकाया धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाती है।
- 12. **"ईएमआई पुनर्निर्धारित शुल्क"** का अर्थ है यदि ऋणकर्ता इस सुविधा का चयन ऋण के पुनर्भुगतान के दौरान करता है तो ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता से अतिरिक्त प्रासंगिक शुल्क वसूला जाता है।
- 13. "ग्रेस पीरिएड" वह समय अवधि है जिसके दौरान ऋणकर्ता बिना किसी अर्थदण्ड के मूल राशि और आनुपातिक एपीआर चुका कर ऋणमुक्त हो सकता है। ग्रेस पीरिएड की अवधि 20 (बीस) से 51 (इक्यावन) दिन होगी।
- 14. **"पहला ग्रेस पीरिएड"** उसे कहा जाता है जब ऋण समझौते के कार्यान्वयन के बाद पहली बार



ऋणकर्ता को यह सुविधा प्रदान की जाती है।

- 15. **'ब्याज दर'** का अर्थ ऋण से सम्बद्ध ब्याज दर है जैसा कि शेड्यूल 1, स्वीकृति पत्र तथा केएफएस में उल्लिखित है।
- 16. "केएफएस" का अर्थ की फैक्ट स्टेटमेंट है, जैसा कि शेड्यूल 1 में दिया गया है, इसे ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता के लिए जारी किया जाएगा और साथ ही साथ एपीआर का विवरण, प्रासंगिक शुल्क का विवरण तथा अन्य विवरण जैसे कूलिंग-ऑफ पीरियड /अप-लुक , वसूली एजेंट और ऋणकर्ता से सम्पर्क करने वाले के रूप में सर्विस प्रोवाइडर का विवरण, फिनटेक/डिजिटल ऋण सम्बन्धी शिकायतों/ मुद्दों के निस्तारण के लिए नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण आदि शामिल होंगे।
- 17. **"सीमा बढ़ाने का शुल्क"** जब ऋणकर्ता अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने हेतु ऋण के लिए आवेदन करता है तब उस आवेदन पर विचार करने के लिए क्रेडिट इनक्रीज़िंग फी लिया जाता है। यदि ऋणदाता ने आवेदन को निरस्त कर दिया है तब भी यह शुल्क देय होता है।
- 18. "ऋणराशि" का तात्पर्य उस ऋण राशि से है जिसे ऋणकर्ता इस समझौते में सूचीबद्ध परिक्रामी क्रेडिट लाइन की सीमा के अन्तर्गत ऋणदाता से ऋण लेता है। बशर्ते कि यदि एक ही मंजूरी पत्र के तहत एकाधिक आहरण की सुविधा है तो सभी आहरणों या एकल आहरण को ऋण कहा जाएगा और प्रत्येक आहरण के लिए ऋणकर्ता की पात्रता इस आधार पर निर्धारित होगी कि वह हर आहरण के समय कम्पनी की क्रेडिट पॉलिसी को पूरा करे।
- 19. "ऋण आवेदन" का अर्थ है ऋण के लिए आवेदन जिसे दिए गए प्रारूप में निर्धारित तरीके से भरा गया हो, जो ऋणदाता द्वारा स्वीकृत हो तथा जो ऋणदाता द्वारा.अपेक्षित दस्तावेजों और सूचनाओं से संलग्न किया गया हो और जिसे ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणकर्ता द्वारा पूरी तरह भर कर ऋणदाता के पास जमा किया गया हो।
- 20. **"ऋण दस्तावेज**" का सामूहिक अर्थ है:
 - a. ऋण आवेदन
 - b. केएफएस
 - c. स्वीकृति पत्र
 - d. यह समझौता. तथा
 - e. अन्य कोई दस्तावेज़ जो कि समय समय पर निष्पादित किया गया हो एवं उसका आधार कोई भी पूर्ववर्ती दस्तावेज़ हो जिसके प्रतिभागी ऋणकर्ता या ऋणदाता हो।
- 21. **"वैकल्पिक टर्म शुल्क"** अतिरिक्त प्रासंगिक शुल्क है जिसे ऋणकर्ता को मिले पुनर्भुगतान अवधि के आधार पर उससे वसूला जाता है, जो प्रथम ईएमआई के साथ ही देय होता है। इस शुल्क को उसी स्थिति में लिया जाता है जब ऋणकर्ता ग्रेस पीरियड में ऋण चुकाने में असफल हो जाता है।
- 22. **"बकाया धनराशि"** का अर्थ है किसी भी समय इस समझौते और /या अन्य किसी भी ऋण दस्तावेज की शर्तों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी जाने वाली सभी बकाया और देय धनराशि, पर यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है:
 - a. इस ऋण की मूल राशि;
 - b. ऋण पर ब्याज;
 - क्रणकर्ता के अन्य सभी दायित्व और उसकी देनदारियां , सम्बद्ध मुआवजे, परिसमाप्त क्षिति, लागत, शुल्क, व्यय और अन्य शुल्क तथा इस समझौते या अन्य किसी ऋण दस्तावेज (अलग अलग या संयुक्त रूप) से सम्बद्ध शुन्क और संचित ब्याज; तथा
 - a. ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी और सभी खर्च जो इस समझौते और/या अन्य किसी ऋण दस्तावेजों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा देय हैं जिसमें प्रवर्तन व्यय और वसूली के व्यय भी शामिल हैं।
- 23. **"दंडात्मक शुल्क**" वह अतिरिक्त आकस्मिक शुल्क है जो ऋणकर्ता द्वारा जुर्माने के रूप में ऋणदाता को देय होता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब ऋणकर्ता द्वारा चुकाए जाने वाले मासिक किश्तों और/बकाया राशि के भुगतान में चूक होती है और इस राशि की गणना संचयी रूप में की जाती है।
- 24. **"प्रसंस्करण शुल्क"** शेड्यूल १ के अनुसार प्रसंस्करण शुल्क का अर्थ है प्रत्येक संवितरण के समय ऋणकर्ता पर प्रभारित किया जाने वाला शुल्क। शुल्क इस प्रकार संरचित है: (1) निकासी का पहला महीना वह महीना होता है जिसमें ऋणकर्ता पहली बार ऋणराशि का आहरण करता है और यह



महीने की किसी भी दिनांक को किया जा सकता है; उदाहरण स्वरूप यदि धनराशि का पहला आहरण 28 नवम्बर को किया जाता है तो नवम्बर माह को पहला आहरण माह कहा जाएगा। तथा (2) बाद में निकासी उस आहरण को कहा जाता है जो पहले माह के बाद आने वाले महीनों में किया जाता है। सभी आहरणों पर शुल्क संरचना लागू होती है और यह आहरण संख्या पर निर्भर नहीं होता तथा हर आहरण के समय शुल्क काट लिया जाता है।

25. "पुनर्भुगतान तिथियां"

- a. मासिक किश्तों के संदर्भ में इसका अर्थ है वह तिथि जिस दिन या उसके पहले ऋणकर्ता द्वारा मासिक किश्त अदा की जानी है, जिसकी गणना ऋण निस्तारण की तिथि से या उस तिथि से की जाती है जिस दिन ऋणदाता ने ऋणकर्ता के पक्ष में ऋण देना सुनिश्चित कर दिया है। इन दोनों में से पहले वाले को प्राथमिकता दी जाती है; तथा
- b. बकाया राशि के संदर्भ में इसका अर्थ है वह तिथि जिस दिन या उसके पहले ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता के पक्ष में बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाना है।
- 26. **"आरबीआई"** का अर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।
- 27. **"परिक्रामी क्रेडिट लाइन"** वह ऋण सीमा है जिसे ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता को उपलब्ध कराया गया है और ऋणकर्ता समझौते में दिए गए नियम और शर्तों के अधीन समय समय पर ऋणसीमा के अन्दर अग्रिम राशि ले सकता है, उसे चुकता कर सकता है और पुनः अग्रिम राशि ले सकता है, पर शर्त यह है कि प्रयुक्त ऋण सीमा कभी भी स्वीकृत ऋण सीमा से अधिक न होने पाए।
- 28. **"स्वीकृति पत्र**" जैसा कि शेड्यूल 1 में कहा गया है इसका अर्थ है वह पत्र जिसे ऋण की स्वीकृति करते हुए ऋणदाता जारी करता है जिसमें प्रासंगिक विवरण, नियम एवं शर्तों का उल्लेख रहता है।
- 29. **"स्वीकृत ऋण सीमा"** का अर्थ है वह अधिकतम ऋणराशि जिसे ऋणकर्ता आहरित कर सकता है।
- 30. "एसएमएस चार्ज" का अर्थ है मासिक प्रासंगिक शुल्क जिसे ऋणकर्ता द्वारा एसएमएस अधिसूचना सेवा प्राप्त करने के लिए देय होता है। इस सेवा के अन्तर्गत धनराशि जमा करने की असीमित सूचना, धनराशि जमा करने का अनुस्मारक, पुनर्भुगतान की अधिसूचना, बाह्य खाते में धन हस्तांतरित करने सम्बन्धी अपडेट की सूचनाएं शामिल हैं ('एसएमएस सर्विसेज़')। यदि ऋणकर्ता ने इन सेवाओं को चुना है तभी यह शुल्क देय होता है और ऋणकर्ता किसी भी समय इस सेवा को त्याग सकता है।
- 31. **"ऋण की अवधि"** का अर्थ होगा, कीफैक्ट स्टेटमेंट (केएफएस) में वर्णित ऋण की अवधि और ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता को ऋण की अवधि के सम्बन्ध में दिया गया कोई भी विस्तार।
- 32. **"वेबसाइट"** का अर्थ है ऋणदाता की वेबसाइट, जो कि इस समय <u>www.fincfriends.com</u> है।

1.2 Interpretation/ विवेचना

- 1. Unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa;
- 2. the table of contents, headings and the use of bold typeface, are inserted for ease of reference and shall be ignored in the construction and interpretation of the Agreement; a reference to a Clause or Schedule is, unless indicated to the contrary, a reference to a Clause or Schedule to this Agreement;
- 3. references to this Agreement shall be construed as references also to any separate or independent stipulation or agreement contained in it;
- 4. references to the word 'includes' or 'including' shall be construed without limitation; and
- 5. words importing a particular gender include all genders.
- 1. यदि संदर्भ की मांग न हो तो एकवचन बोधक शब्द बहुवचन के भी बोधक होंगे तथा इसका उल्टा भी।
- विषय-वस्तु की तालिका, शीर्षक, बोल्ड अक्षरों में लिखें गए शब्दों का प्रयोग निर्देश को सुगम बनाने के लिए किया गया है और समझौते को तैयार करते और उसकी विवेचना करते समय इनकी उपेक्षा की जानी चाहिए।



- 3. यदि विशेष रूप से निषेध नहीं किया गया है तो क्लॉज़ या शेड्यूल का सम्बन्ध समझौते के क्लॉज़ या शेड्यूल से है।
- इस समझौते के निर्देश को भिन्न या स्वतंत्र शर्तों या उसमें निहित समझौते पर भी लागू समझा जाएगा।;
- 5. एक विशेष लिंग का बोध कराने वाले शब्दों को सभी लिंगों के लिए प्रयुक्त समझा जाएगा।

2. SANCTION & LOAN DISBURSAL/ अनुमोदन एवं ऋण वितरण

- 2.1 Relying upon the statements and representations made by the Borrower in the Loan Application, the Lender has sanctioned the Revolving Credit Line facility and does hereby agrees to disburse Loan to the Borrower up to a maximum amount as set out in Schedule I;
- 2.2 The disbursement of the Loan shall be made directly in the bank account of the Borrower, details of which have been provided by the Borrower to the Lender at the time of Loan Application;
- 2.3 Unless the Sanction Letter is unconditionally accepted by the Borrower, the Lender does not undertake any obligation to allow the Borrower to avail the Loan even if sanctioned.
- 2.4 Borrower hereby irrevocably understand, agree and confirm that every Loan request made by the Borrower shall be assessed individually by the Lender at its sole discretion and the final disbursement of Loan amount shall be based on the Lender's internal policies and eligibility criteria applicable to the Borrower.
- 2.5 The Borrower hereby irrevocably agree and undertake that every amount credited in the bank account of the Borrower by the Lender shall be deemed to be an acknowledgement and acceptance of Loan availed by the Borrower from the Lender.
- 2.6 The disbursement of Sanctioned Loan Limit (full or partial) is dependent on the method chosen by the Borrower, which may be one of the following options: (i) a full disbursement of 100% of the Sanctioned Loan Limit, or (ii) a stage-wise disbursement, where the Revolving credit limit is released in multiple instalments as per Borrower's request.
 - Therefore, the disbursal schedule cannot be included in the Key Fact Statement (KFS) provided to the Borrower.
- 2.1 ऋणकर्ता द्वारा ऋण आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण और अभ्यावेदन के आधार पर ऋणदाता ने परिक्रामी क्रेडिट लाइन फेसीलिटी स्वीकृत की है और अब वह शेड्यूल 1 में उल्लिखित अधिकतम ऋण सीमा तक ऋणकर्ता के पक्ष में ऋण वितरण के लिए स्वीकृति देता है।;
- 2.2 ऋण आवेदन करते समय आवेदनकर्ता ने अपने जिस बैंक खाते का विवरण ऋणदाता को दिया है, ऋण का संवितरण सीधे उसी खाते में होगा।
- 2.3 जब तक कि ऋणकर्ता मंजूरी पत्र को बिन किसी शर्त के स्वीकार नहीं कर लेता तब तक ऋणदाता इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता कि मंजूरी के बाद भी ऋणकर्ता ऋण का उपयोग करे।
- 2.4 ऋणकर्ता इस बात को अपरिवर्तेनीय रूप से समझता है, सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋणकर्ता के ऋण आवेदन का मूल्यांकन ऋणदाता व्यक्तिगत रूप से अपने विवके के आधार पर व्यक्तिगत रूप से करेगा और ऋण का निर्णायक संवितरण ऋणदाता की आन्तरिक नीतियों और ऋणकर्ता पर लागू होने वाले पात्रता मानदंडों के आधार पर होगा।
- 2.5 ऋणकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से एतद् द्वारा सहमत है और वचन देता है कि ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता के बैंक खाते में जमा की गई हर धनराशि को पावती और ऋणकर्ता द्वारा ऋण प्राप्ति की सहमति के रूप में लिया जाएगा।
- 2.6 स्वीकृत ऋणसीमा (पूर्ण या आंशिक) का संवितरण ऋणकर्ता द्वारा चुनी गई विधि पर निर्भर है जो कि निम्न विकल्पों में से कोई एक हो सकता है: (i) स्वीकृत ऋण सीमा का 100% संवितरण या (ii) चरणबद्ध संवितरण, जिसमें ऋणकर्ता के अनुरोध के आधार पर परिक्रामी क्रेडिट लिमिट को कई किश्तों में जारी किया जाता है। इसलिए संवितरण शेड्यूल को ऋणकर्ता को प्रदान किए गए की फैक्ट स्टेटमेंट (केएफएस) में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।



3. COOLING OFF OR LOOK-UP PERIOD/ कूलिंग ऑफ या लुक-अप पीरियड

- Post disbursement of Loan, the Borrower shall within a period equal to the 1st (first) Grace Period from the date of disbursement of Loan by the Lender, have the option to exit the Loan by paying the principal Loan amount and the proportionate APR without any penalty. However, if the Borrower opts not to exit the Loan in this period or fails to exit the Loan if intends to do so, then the Borrower shall be responsible and liable to comply with all the terms and conditions of this Agreement as a Borrower;
- 3.2 If the Borrower continues with the Loan even after the Cooling off/ look-up period, then the Borrower will still have the option for foreclosure and early repayment of the Loan, subject to payment of all applicable interest and charges outstanding to be payable by the Borrower.
- 3.1 ऋण संवितरण के उपरान्त ऋणदाता द्वारा संवितरण की तिथि से 1st (प्रथम) ग्रेस पीरियड के समतुल्य समय अविध में ऋणकर्ता के पास यह विकल्प होता है कि वह बिना किसी जुर्माने के मूल ऋण राशि और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके ऋण से मुक्त हो जाए। हांलांकि यदि ऋणकर्ता इस अविध में ऋणमुक्त होने का विकल्प नहीं चुनता है या यदि ऋणमुक्त होने की इच्छा रखता है पर ऋणमुक्त नहीं हो पाता तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा और ऋणकर्ता के रूप में समझौते के नियम और शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
- 3.2 यदि ऋणकर्ता कूलिंग ऑफ/ लुक-अप पीरियड के बाद भी ऋण को जारी रखता है तो उसके पास अभी भी यह विकल्प रहता है कि वह ऋण को निर्धारित अवधि के पूर्व ही चुका कर उसे बन्द कर दे और लागू होने वाले सभी व्याज और सभी शुल्कों का भुगतान भी कर दे।

4. PAYMENT AND EARLY REPAYMENT/ भुगतान और समय से पूर्व पुनर्भगतान

- 4.1 The Borrower shall pay the Outstanding Dues on the Repayment Date as mentioned in the Schedule or within the Grace Period, whichever event is applicable. Borrower understands that its obligations under this Agreement shall be valid and binding, until the repayment of the Outstanding Dues, to the satisfaction of the Lender. The Borrower acknowledges that strict compliance to the repayment schedule is an essential condition for grant of the Loan and that time is the essence of this agreement.
- 4.2 The Borrower can repay the Outstanding Dues with respect to the Loan, in full during the Grace Period through the mode of Debit Card/Net-banking/Unified Payments Interface (UPI).
- 4.3. In case of death or insolvency of the Borrower, as applicable, the outstanding Loan along with Interest, default interest and the Charges will be recovered from his/her/its legal heir/s, legal representative/s, executor/s, administrator/s).
- 4.4 The Borrower agrees that the payment of all the amount due to Lender under this Agreement can always be enforced against the Borrowers estate and assets and this Agreement shall be binding upon heirs, executors, legal representatives, and administrators of the Borrowers.
- 4.5 The Borrower can apply/request for Early Repayment/Foreclosure and change of EMI schedule approval of which is the sole discretion of the Lender.
- 4.6 If the Borrower makes an Advance EMI payment, the available Revolving Credit Line and Outstanding Dues will be updated on the upcoming due date. Further, the Borrower will not be entitled to a refund of the EMI amount once it has been deposited.
- 4.1 ऋणकर्ता को शेड्यूल में उल्लिखित पुनर्भुगतान तिथि को या ग्रेस पीरियड के भीतर जो भी लागू हो, बकाया राशि का पुनर्भुगतान करना होगा। ऋणकर्ता यह समझता है कि इस समझौते के तहत जो भी उसका दायित्व है वह तब तक वैध और बाध्यकारी हैं जब तक वह ऋणदाता की संतुष्टि के लिए बकाए धनराशि का भुगतान नहीं कर देता। ऋणकर्ता इसे स्वीकार करता है कि पुनर्भुगतान के शेड्यूल का कड़ाई से अनुपालन ऋण प्रदान करने की एक आवश्यक शर्त है और समय ही समझौते का मूलभूत सार है।
- 4.2 ऋणकर्ता ग्रेस पीरियड के दौरान ऋण की बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान डेविट कार्ड/ नेट बैंकिग/



युनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से कर सकता है।

- 4.3 ऋणकर्ता की मृत्यु हो जाने या उसके दीवालिया हो जाने की स्थिति में बकाया ऋण की वसूली उसके कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों/ उसके निर्वाहकों /उसके प्रबन्धकों से की जाएगी।
- 4.4 ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि इस समझौते के तहत ऋणदाता के प्रति सभी बकाया धनराशि का भुगतान ऋणकर्ता की जमीन और जायदाद से की जा सकती है और यह समझौता ऋणकर्ता के उत्तराधिकारियों, उसके निर्वाहकों और उसके प्रबन्धकों के लिए भी उतना ही बाध्यकारी होगा।
- 4.5 ऋणकर्ता शीघ्र चुकौती/ फोरक्लोज़र समय सीमा से पहले ऋण को बन्द करने और ईएमआई शेड्यूल को परिवर्तित करने के लिए आवेदन/ अनुरोध कर सकता है, जिसकी मंजूरी ऋणदाता के अपने विवेक पर निर्भर करता है।
- 4.6 यदि ऋणकर्ता ईएमआई का अग्रिम भुगतान करता है, तो उपलब्ध परिक्रामी क्रेडिट लाइन और बकाया देय राशि नियत तिथि अद्यतन कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जब ऋणकर्ता एक बार ईएमआई जमा कर देता है तो उस राशि को पुनः निकालने का अधिकार उसे नहीं होगा।

5. PENAL CHARGES/ दंडात्मक शुल्क

- 5.1 In the event of default on the part of the Borrower in making payment of the Outstanding Dues on the Repayment Date or Due Date or any other amount due and payable under the Loan Documents, as and when the same is/are due to be paid, the Borrower shall pay to the Lender the Penal Charges as mentioned in the Schedule I. Such Penal Charges are cumulative in nature and shall be payable on and from the date of default in repayment to and including the date on which such delay/default is rectified. The Lender's right to claim such Penal Charges shall be without prejudice to the Lender's right to take any other action available to it under the terms of this Agreement or at law in respect of such event of default.
- 5.2 On the occurrence of an Event of Default, the Borrower shall, without prejudice to the rights of the Lender to declare an Event of Default, pay on the outstanding Loan, Penal Charges from the date of occurrence of the Event of Default till such time the Event of Default is cured.
- 5.3 Any charges accruing under this Clause shall be immediately payable by the Borrower to the Lender and shall constitute the Outstanding Dues till the payment thereof.
- 5.4 The levy of Penal Charges under this Clause shall not prevent the Lender from declaring an Event of Default and shall not prejudice the exercise of any rights and remedies available to the Lender upon the occurrence of an Event of Default.
- 5.5 It is clarified that the quantum of Penal Charges reflects the incurred costs and essential resources utilized in facilitating the collection procedures in the event of default in repayment by the Borrower. Penal Charges herein include, but are not limited to, expenses related to collection team staff, office space allocation, communication expenditures, and postage for distributing hard copy letters and notices. The Borrower acknowledges and agrees that as per the rationale explained, the Penal Charges are reasonable and represents the genuine preestimates of the loss incurred by the Lender in the event of non-payment by the Borrower. Further, the Borrower confirms that the Loan provided under this Agreement is for personal purposes and the Borrower hereby waives any defense available under usury or other Applicable Laws relating to the levy of Penal Charges.
- 5.1 पुनर्भुगतान तिथि या देय तिथि पर बकाया राशि या ऋण दस्तावेज के तहत अन्य किसी देय का भुगतान करने में ऋणकर्ता की ओर से चूक होने पर ऋणकर्ता ऋणदाता को शेड्यूल 1 के अनुसार दंडात्मक शुल्क देगा। इस तरह के शुल्क संचयी प्रकृति के होते हैं और जिस दिन भुगतान किया जाना था उस दिन से आरम्भ करके उस दिन तक के लिए देय होते हैं जिस दिन चूक को सही किया जा रहा है। ऋणदाता ऐसे किसी दंडात्मक शुल्क का दावा कर सकता है जो कि इस समझौते की शर्तों के अनुरूप हो या कानून में वर्णित ऐसी किसी चूक की घटना से प्रेरित हो और यह बिना किसी पूर्वाग्रह के उसको कोई अन्य उपलब्ध कार्यवाही करने का अधिकार भी देता है।



- 5.2 ऐसी चूक की घटना होने पर ऋण्कर्ता को चाहिए कि वह पूर्वाग्रह रहित हो कर ऋणदाता के इस अधिकार को स्वीकार करे कि वह चूक को घोषित कर सकता है। और वह चूक की घटना के घटित होने की तिथि से ले कर चूक को सुधार लिए जाने की तिथि तक की बकाया धनराशि और दंडात्मक शुल्क का भुगतान करेगा।
- 5.3 इस क्लॉज़ के तहत लगने वाले किसी शुल्क का भुगतान तत्काल ऋणदाता के पक्ष में तत्काल किया जाएगा और इसकी गणना में भुगतान की तिथि तक की राशि सम्मिलित की जाएगी।
- 5.4 इस क्लॉज़ के तहत दंडात्मक शुल्क लगाने पर ऋणदाता को चूक की घटना घोषित करने से रोका नहीं जा सकता और चूक की घटना घटित होने पर ऋणदाता के किसी भी अधिकार और उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 5.5 यह स्पष्ट किया जाता है कि दंडात्मक शुल्क की मात्रा किए गए उस खर्च को और प्रयोग में आए उन संसाधनों को दर्शाता है जो कि ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान न करने की अवस्था में ऋणदाता द्वारा उगाही प्रक्रिया में उपयोग में लाए गए हैं। दंडात्मक शुल्क में संग्रहण टीम के कर्मचारियों, कार्यालय के लिए स्थान आवंटन, संचार व्यय, पत्र और नोटिस की हार्ड कॅापी भेजने का डाकव्यय सम्मिलित होते हैं, पर ये खर्चे इतने तक ही सीमित नहीं होते। ऋणकर्ता इस बात को स्वीकार करता है और इस बात से सहमत है कि बताए गए कारणों के आधार पर दंडात्मक शुल्क उचित है और समय से भुगतान न करने के कारण ऋणदाता को हुए वास्तविक नुकसान के आकलन के पूर्वानुमान के आधार पर दंडात्मक शुल्क उचित है। तथा ऋणकर्ता इस बात की सहमित देता है कि इस समझौते के तहत लिया गया यह ऋण उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और इसलिए ऋणकर्ता सूदखोरी या दंडात्मक कानून लगाने से बचाव के लिए किसी भी कानून अपने बचाव को नहीं अपनाएगा।

6. MODE OF PAYMENT AND EARLY REPAYMENT/ भुगतान और समयपूर्व पुनर्भुगतान का तरीका

- 6.1 The Borrower shall re-pay the Outstanding Dues during the Grace period through the mode of Debit Card/Net-banking/Unified Payments Interface (UPI);
- 6.2 Any dispute or difference of any nature whatsoever shall not entitle the Borrower to withhold or delay payment of any EMIs or other sum;
- 6.3 The Borrower agrees and acknowledges that there can be additional charges for transactions and the same shall be borne by the Borrower.
- 6.1 ऋणकर्ता ग्रेस पीरियंड के दौरान बकाया राशि का भुगतान डेविड कार्ड /नेट बैंकिग/यूनिफाइंड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआई) से कर सकता है।
- 6.2 किसी भी तरह का कोई भी विवाद या मतभेद उधारकर्ता को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी भी ईएमआई भुगतान या अन्य किसी भी भुगतान को रोक दे या उसमें विलम्ब करे।
- 6.3 ऋणकर्ता इस बात से सहमत है और इसे स्वीकार करता है कि लेनदेन के संदर्भ में अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं और इसका वहन ऋणकर्ता द्वारा किया जाएगा।

7. BORROWER REPRESENTATIONS & WARRANTIES & COVENANT/ ऋणकर्ता निरूपण तथा आश्वासन एवं प्रतिज्ञापत्र

7.1 Borrower hereby represents, warrants and acknowledges:

- a. it is a citizen and a person resident in India and will continue to remain so during the tenure of this loan;
- b. all information furnished in respect of the Loan are correct and the Borrower is a major, of sound mind and competent to enter into the contract;
- c. the Borrower has adequate legal capacity to accept this and perform its obligations under this agreement;
- d. to furnish all information of its finances and business as is required by the Lender;
- e. it is not a party to any litigation and to the best of its knowledge, no act(s) or omission(s) has been committed that may give rise to any litigation;



- f. that all repayments shall be in compliance of all applicable laws.
- g. upon execution by the Borrower, this Agreement will constitute a valid, enforceable and legally binding obligation of the Borrower;
- h. there is no law, regulation, decree or act and no provision of any existing contract, agreement or instrument to which Borrower is a party that would be contravened by this Agreement or by the performance or observance of any of its terms;
- i. all information furnished by or on behalf of the Borrower in connection with obtaining the Loan, whether prior to the date hereof or contemporaneously with the execution of this Agreement and all information furnished hereinafter, is and will be true, correct and complete in all material respects as on the date on which such information is provided or certified.

7.2 The Borrower hereby expressly covenant as follows:

- a. The Loan shall be governed by the terms herein contained as well as those embodied in the other Loan Documents and the Borrower hereby undertakes to comply with and adhere to all terms thereof and the provisions of the Applicable Laws;
- b. ensure timely payment of the Outstanding Dues;
- c. The Borrower shall utilize the Loan only for legitimate purposes and no portion of the Loan shall be used for any illegal and/or antisocial and/or speculative purpose including but not limited to participation in stock markets/ IPOs and/or purchase/investment in capital market and/or gambling and/or money laundering;
- d. Promptly notify the Lender through a written notice to its concerned address or via the Digital Lending Application (DLA), of any change in the Borrower's postal address and/or mobile number or any other personal details provided in the application or this Agreement;
- e. Execute any and all documents, as the Lender may require, from time to time, for duly or more perfectly securing the repayment of the Loan;
- f. The Borrower shall not dispute and/or hold the Lender responsible for (1) non-availability or non- accessibility of the Lender's website (i.e. https://fincfriends.com/), electronic payment gateway, telephone(s), or office(s) of the Lender for reasons beyond the Lender's control; or (2) any typographical error or inaccuracy on the Lender's website or any written, e-mail & SMS communication;
- g. The Borrower hereby agrees and authorizes the Lender to debit its account without notice, towards principal, Interest and/or other charges, expenses etc., due to the Lender under this Agreement to the extent of balance available in the said account and the said debit made as per the authority specifically given hereby and credit of such amount to the Loan Account, shall be treated as an acknowledgement of payment for the purpose of limitation.
- 7.1 ऋणकर्ता एतद् द्वारा निरूपित करता है, आश्वासन देता है और स्वीकार करता है:
 - a. वह भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है और ऋण की अवधि तक भारत में ही रहेगा।
 - b. ऋण के संदर्भ में दी गई सारी सूचनाएं सही हैं और ऋणकर्ता वयस्क, दिमागी रूप से स्वस्थ एवं अनुबन्ध करने के लिए सक्षम है;
 - c. ऋणकर्ता इस समझौते को स्वीकार करने और उससे सम्बन्धित दायित्वों को पूरा करने की पूरी कानूनी क्षमता रखता है;
 - d. ऋणदाता द्वारा अपेक्षित अपने वित्त एवं व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रस्तुत करना;
 - e. वह किसी भी मुकदमें में वादी या प्रतिवादी नहीं है और अपनी जानकारों में उसने ऐसा कोई भी कार्य या चूक नहीं की है जो किसी मुकदमें का कारण बने:
 - f. सभी पुनर्भुगतान लागू कानूनों का अनुपालन करते हुए होगा।
 - g. ऋणकर्ता द्वारा निष्पादित करने के बाद यह समझौता ऋणकर्ता का वैध, लागू करने योग्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बन जाएगा:
 - n. ऐसा कोई कानून, नियम, आदेश या अधिनियम नहीं है और न ही ऐसे किसी वर्तमान अनुबन्ध, समझौता या



साधन का प्रावधान है जिसका वादी ऋणकर्ता हो या इसके किसी भी शर्त के निष्पादन या पालन से इस समझौते का उल्लंघन हो ।

- अण प्राप्ति के लिए ऋणकर्ता या उसकी ओर से प्रस्तुत की गई सारी सूचनाएं , चाहे वे इस तिथि के पहले की हों या इस समझौते के कार्यान्वयन के दिन की हो, जिन्हें किसी तिथि भी को प्रदान किया जाता है या प्रमाणित किया जाता है वे सभी सूचनाएं हर मामले में सत्य, सही और पूरी हैं और होंगीं।
- 7.2 ऋणकर्ता एतद् द्वारा स्पष्ट रूप से निम्न अनुबन्ध करता है:
 - a. ऋण यहां दी गई शर्तों एवं ऋण के अन्य दस्तावेजों की शर्तों से शासित होगा और ऋणकर्ता इसके सभी नियमों एवं लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन का वचन देता है।
 - b. बकाया देय राशि के समय पर भुगतान को आश्वस्त करता है;
 - c. ऋणकर्ता ऋण का उपयोग मात्र न्यायसंगत उद्देश्य के लिए करेगा और ऋण के किसी भी भाग का उपयोग अवैध और/ असामाजिक उद्देश्य/ या सट्टा लगाने के लिए नहीं करेगा जिसमें शेयर बाजार/ आईपीओ/ पूंजी में निवेश और/ या जूआ और /या मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है पर यह इतने तक ही सीमित नहीं है।
 - a. ऋणकर्ता के पते, मोबाइल नम्बर या आवेदन या समझौते में दिए गए किसी भी व्यक्तिगत विवरण में कोई
 परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऋणदाता को लिखित रूप में उसके सम्बन्धित पते पर और /या डिजिटल
 लेंडिंग एप्लिकेशन (डीएलए) के माध्यम से तत्काल दी जाएगी।
 - e. ऋण के पुनर्भुगतान को विधिवत् या अधिक पूर्णता से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋणदाता द्वारा समय समय पर अपेक्षित किसी एक या सभी दस्तावेजों को तामील में लाया जाएगा;
 - f. इनके लिए ऋणकर्ता विवाद नहीं करेगा और या ऋणदाता को इनके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा (1) ऋणदाता की वेबसाइट की गैर उपलब्धता या उसे एक्सेस न कर पाने पर (जो कि https://fincfriends.com/), ऋणदाता के नियंत्रण से बाहर के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे, टेलीफोन और उसके कार्यालय के लिए या (2) ऋणदाता की वेबसाइट या किसी लिखित पत्र या ई-मेल या एसएमएस जैसे संचार माध्यमों में मुद्रण सम्बन्धी कोई त्रृटि होने पर
 - g. एतद् द्वारा ऋणकर्ता सहमित व्यक्त करता है और ऋणदाता को अधिकृत करता है कि मूलधन,ब्याज या अन्य किसी शुल्क, खर्चे इत्यादि जो समझौते के तहत ऋणदाता को देय हैं उनकी कटौती वह उस सीमा तक कर सकता है जितना ऋणकर्ता के खाते में उपलब्ध है एवं कथित कटौती जो कि दिए गए विशेष अधिकार स्वरूप है और ऋणखाते में जमा की गई इस राशि को उसी प्रकार समझा जाए जिस प्रकार परियोजन से संबद्ध अदायगी की अभिस्वीकृति होती है।

8. EVENTS OF DEFAULT/ इवेंट ऑफ डिफाल्ट

- 8.1 The following acts/events, shall each constitute an "**Event of Default**" by the Borrower for the purposes of each Loan:
 - a. The Borrower fails to make payment of any Outstanding Dues on Due Date;
 - b. Breach of any terms, covenants, representation, warranty, declaration or confirmation under the Loan Documents;
 - c. Any fraud or forgery or misrepresentation or concealment of material information by Borrower which could have affected decision of Lender to grant any Loan/Revolving Credit Line Facility;
 - d. The Borrower is or becomes a party to any litigation, arbitration, administrative or other action, investigation by any governmental entity, claim, suit or proceedings which would have a material adverse effect on the terms of this Agreement;
 - e. Death, lunacy or any other permanent disability of the Borrower;
 - f. Borrower utilizes the Loan Amount for any illegal purpose or for any purposes which is prejudicial to the interest of the public;
 - g. Occurrence of any events, conditions or circumstances (including any change in law) which in the sole and absolute opinion of Lender could have a Material Adverse Effect, including limitation of



any proceedings or action for bankruptcy/liquidation/insolvency of the Borrower.

- 8.2 The decision of the Lender as to whether or not an Event of Default has occurred shall be final and binding upon the Borrower.
- 8.1 प्रत्येक ऋण के संदर्भ में निम्न में से प्रत्येक कार्य/ घटना ऋणकर्ता का इवेंट ऑफ डिफाल्ट कहा जाएगा:
 - a. ऋणकर्ता निधारित तिथि को किसी भी देय का भुगतान करने में असफल रहता है;
 - b. ऋण दस्तावेजों में दिए गए किसी भी शर्त, नियम, निरूपण, आश्वासन, घोषणा या सहमति का उल्लंघन;
 - c. ऋणकर्ता द्वारा की गई कोई भी धोखाधड़ी, जालसाजी, या गलत बयानी या उसके द्वारा किसी भी जानकारी को छिपाना जो ऋणदाता द्वारा किसी भी ऋण/ परिक्रामी क्रेडिट लाइन सुविधा देने के निर्णय को प्रभावित करे;
 - d. ऋणकर्ता यदि किसी कानूनी झगड़े, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य किसी कार्यवाही ,िकसी भी सरकारी इकाई द्वारा जांच , दावे, मुकदमें या कार्यवाही में एक पक्ष है या बनता है जिनका इस समझौते की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।;
 - e. ऋणकर्ता की मृत्यु या उसका पागलपन या उसकी स्थाई विकलांगता;
 - f. ऋणकर्ता ऋण का उपयोग किसी अवैध कार्य के लिए करता है या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करता है जो प्रजा के हित में नहीं है।
 - g. कोई भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी बदलाव के साथ), जिसके तहत किसी भी कार्यवाही की सीमा बन जाए या ऋणकर्ता के दिवालियापन/ परिसमापन/ ऋणशोधन की अक्षमता सम्बन्धी बातें शामिल हो जाएं और जिनके घटित होने के प्रति ऋणदाता की राय एकमात्र और निरपेक्ष हो कि ये उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं।
- 8.2 डिफाल्ट घटित हुआ है कि नहीं इस संदर्भ में ऋणदाता की राय अनन्तिम होगी और ऋणकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी।

9. CONSEQUENCES OF DEFAULT/ डिफाल्ट के परिणाम

- 9.1 Upon occurrence of any of the Events of Default and at any time thereafter, Lender shall have the right, but not the obligation to declare all sums outstanding in respect of the Loan/Revolving Credit Line Facility, whether due or not, immediately repayable and upon the Borrower failing to make the said payments within thereof, Lender may at its sole discretion exercise any other right or remedy which may be available to Lender under any applicable law, including seeking any injunctive relief or attachment against the Borrower or their assets. The Lender can also enforce any other remedy which may be available under law during the pendency of the Loan. Notwithstanding the aforesaid, in the event of the Borrower failing to make the payment of the Outstanding Dues within 90 (ninety) days from the Due Date, Lender shall, inter alia, have the right to classify the same as a non-performing asset (NPA) and report it accordingly to the credit bureaus.
- 9.2 The Borrower shall also be liable for payment of all legal and other costs and expenses resulting from the foregoing defaults or the exercise of Lender remedies.
- 9.3 Notwithstanding any other rights available to the Lender under this Agreement, the Lender shall be entitled to initiate criminal proceeding or any other appropriate actions against the Borrower if at any time the Lender at its sole discretion has sufficient grounds to believe that the Borrower has made any misrepresentations and/or submitted any forged documents or fabricated data to the Lender.
- 9.1 डिफाल्ट की किसी घटना के घटित होने या उसके बाद किसी भी समय ऋणदाता को बिना किसी बाध्यता के यह अधिकार रहेगा कि वह ऋण से संबद्ध बकाया ऋण/ परिक्रामी क्रेडिट लाइन सुविधा को उद्घाटित कर



सकता है चाहे उसका पुनर्भुगतान तुरन्त किया जाना हो या नहीं और उस अवस्था में जब कि ऋणकर्ता उपिरिलिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तब ऋणदाता को अपने विवेक का उपयोग करते हुए कानूनन उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के प्रयोग की अनुमित है एवं इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई या उसके सम्पत्ति की कुर्की कर सकता है। ऋणदाता ऋण के लंबित रहने की अवस्था में बिना किसी प्रतिबन्ध के जो भी उपाय कानूनन उपलब्ध हो उन्हें कार्य में ला सकता है। इसके बाद भी यदि ऋणकर्ता नियत तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता को अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात का अधिकार होगा कि वह बकाया राशि को नॉन परफार्मिंग एसेट (एनपीए) में रूप में वर्गीकृत कर दे और फलस्वरूप क्रेडिट ब्यूरो को इस बारे में सूचित कर दे।

9.2 ऋणकर्ता सभी कानूनी तथा अन्य लागत और खर्चों के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पूर्ववर्ती डिफाल्ट या

ऋणदाता द्वारा समस्या के निदान के लिए अपनाए गए उपाय के कारण हुए हैं।

9.3 यदि ऋणदाता को किसी भी समय अपने विवेक के आधार पर लगता है कि ऋणकर्ता ने कोई गलतबयानी की है और / या जाली दस्तावेज या मनगढ़ंत डाटा प्रस्तुत किया है तो इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के बावजूद भी उसे यह अधिकार होगा कि वह आपराधिक कार्यवाही या ऋणकर्ता के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सके।

10. DISCLOSURES/ डिस्क्लोज़र

- 10.1 The Borrower acknowledges and authorizes the Lender to disclose all information and data relating to Borrower, the Loan/Revolving Credit Line Facility, default if any, committed by Borrower to such third parties/agencies as Lender may deem appropriate and necessary to disclose and/or as authorized by RBI, including but not limited to Credit Information Bureaus The Borrower also acknowledges and authorizes such information to be used, processed by Lender / third parties/ Credit Information Bureaus/RBI as they may deem fit and in accordance with applicable laws. Further in Event of Default, Lender and such agencies shall have an unqualified right to disclose or publish the name of the Borrower /or its directors/ partners/coapplicants, as applicable, as 'defaulters' in such manner and through such medium as Lender / Credit Information Bureaus / RBI/ other authorized agency in their absolute discretion may think fit, including in newspapers, magazines and social media.
- 10.2 The Borrower shall not hold Lender responsible for sharing and/or disclosing the information now or in future and also for any consequences suffered by the Borrower and/or other by reason thereof. The provisions of this clause shall survive termination of the Agreement and the repayment of the Outstanding Dues.
- 10.3 The Lender shall notify the Borrower of any change in the terms and conditions including the disbursement schedule, interest rates, processing fee, repayment terms etc. through email or SMS. The changes in interest rate and other charges shall come into effect prospectively. The Borrower shall keep himself/herself abreast with all such notifications and hereby irrevocably agree and confirm that he/she would be bound by such changes, without any dispute.
- 10.1 ऋणकर्ता स्वीकार करता है और अधिकृत करता है कि ऋणदाता उससे सम्बन्धित सूचना और डाटा , ऋण / पिरक्रामी क्रेडिट लाइन की सुविधा, यदि कोई चूक हुई है तो, जिनके सामने वह इस प्रकटन को आवश्यक समझता हो उन तीसरी पार्टी/एजेंसियों के सम्मुख उसका प्रकटन कर सकता है और/या जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है साथ ही इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी शामिल है ,लेकिन इन्हीं तक यह सीमित नहीं हैं। ऋणकर्ता इसे भी स्वीकृत और अधिकृत करता है कि ऋणदाता तीसरी पार्टी/क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो/आरबीआई जैसा उचित समझें और प्रचलित कानून के अनुसार इस सूचना का प्रयोग कर सकते हैं और इसे संसाधित सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता और इसी प्रकार की एजेंसियों को यह अप्रतिबन्धित अधिकार है कि ऋणदाता एवं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो/आरबीआई जैसी अन्य अधिकृत एजेन्सियां अपने विवेक के अधार पर उचित माध्यम से ऋणकर्ता या उसके निदेशकों/साझेदारों/सहआवेदकों के नाम को 'डिफॉल्टर' के रूप में यथायोग्य तरीके से समाचारपत्र पत्रिका



और सोशल मीडिया के माध्यम से घोषित या प्रकाशित कर सकते हैं।

- 10.2 ऋणकर्ता अभी या भविष्य में कभी भी सूचना को साझा करने और /या उसे प्रकट करने के लिए ऋणदाता को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा और साथ ही ऋणकर्ता द्वारा भोगे गए किसी परिणाम और /या अन्य किसी कारण से होने वाले परिणाम के लिए भी उसे उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। इस समझौते के निरस्त होने के बाद और देय ऋण को चुका देने के बाद भी यह क्लॉज़ मान्य रहेगा।
- 10.3 ऋणदाता को चाहिए कि वह संवितरण शेड्यूल, ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क, पुनर्भुगतान की शर्तों सिहत सभी नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना ऋणकर्ता को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से दे। ब्याज दर और अन्य कोई भी परिवर्तन भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। ऋणकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे किसी भी परिवर्तन से अवगत रहे और एदत् द्वारा वह अटल रूप से सहमित दे और पृष्टि करे कि बिना किसी विवाद के वह इन परिवर्तनों से बाध्य रहेगा।

11. RECOVERY AGENTS/ वसूली एजेंट

The Borrower hereby agrees that the Lender is entitled to appoint recovery agents for the purpose of recovering Outstanding Dues and that the Borrower hereby confirms to support the Lender and its recovery agents to collect the Outstanding Dues as per the Agreement. The Borrower expressly authorizes/consent to Lender its various service providers for collections and recovery to contact the Borrower telephonically even if the name of the Borrower appears in the Do Not Call Register to inform the Borrower about dues under the Loan granted under this Agreement. The details of the recovery agent are provided in the KFS attached in Schedule I.

ऋणकर्ता सहमित व्यक्त करता है कि ऋणदाता को अधिकार है कि वह बकाया राशि की वसूली के लिए वसूली एजेंट की नियुक्ति करे और इस समझौते के अनुसार ऋणकर्ता बकाया राशि की वसूली के लिए ऋणदाता और उसके वसूली एजेंट को सहयोग देने की पृष्टि करता है। ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से ऋणदाता को अधिकृत करता है/ सहमित देता है कि विभिन्न सेवाप्रदाता संग्रह और वसूली हेतु उससे इस समझौते के तहत स्वीकृत ऋण के देय के बारे में सूचित करने के लिए टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। वसूली एजेंट का विवरण शेड्यूल 1 में संलग्न केएफएस में दिया गया है।

12. INDEMNITY/ इन्डेमिनिटी

The Borrower shall indemnify and keep the Lender and its directors, officers, employees, agents, attorneys or any other person affiliated with or representing the Lender harmless against (i) all obligations, demands, claims and liabilities asserted by any other party in connection with the transactions contemplated by the Loan documents; (ii) all costs, losses, and/ or damages due to any act or default on the part of the Borrower in respect of the Loan and/or for the recovery of the Outstanding Dues on account of failure of the Borrower of any of the terms and conditions mentioned herein and/or for any action undertaken by the Lender in good faith based on the representations of the Borrower.

ऋणदाता, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों,प्रतिनिधियों या उससे संबद्ध व्यक्तियों या नुमाइंदों को होने वाले किसी भी नुकसान का हरजाना ऋणकर्ता द्वारा दिया जाएगा एवं वह उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। (i) ऋण-दस्तावेजों के अनुसार अपेक्षित लेन-देन से संबद्ध सभी दायित्व, मांग, दावा और जिम्मेदारियां जिनका प्रस्तुतिकरण किसी अन्य पार्टी द्वारा किया गया हो; (ii) सभी व्यय, घाटा, और/या हानि जो कि ऋणकर्ता के किसी कृत्य अथवा ऋण अदायगी में हुए डिफॉल्ट के कारण और/या यहां लिखे हुए नियम और शर्तों के पालन में हुई चूक द्वारा उत्पन्न बकाया राशि की वसूली और/या ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन के अनुसार ऋणदाता द्वारा नेकनियती में लिया गया कोई भी कदम।

13. TAXES/ टैक्स

The Borrower shall solely pay all such present and future taxes, stamp duties, and other costs as may be



applicable on the Loan.

ऋणकर्ता ऋण पर वर्तमान या भविष्य में लागू होने वाले सभी करों ,स्टांप शुल्क तथा ऋण पर लागू होने वाले सभी लागतों का भुगतान करेगा।

14. MISCELLANEOUS/ मिसलेनियस

- 14.1 The entries made in records of Lender shall be conclusive evidence of existence and of the amount Outstanding Dues and any statement of dues furnished by Lender shall be accepted by and be binding on the Borrower;
- 14.2 The Borrower hereby states that the Borrower has read and understood this Agreement and the Loan Documents and have signed the said Loan Documents at his/ her free will;
- 14.3 The Borrower hereby consents to the Lender or its Authorized Agents and third party service providers to use information/data provided by the Borrower to contact him through any channel of communication including but not limited to email, telephone, sms, etc. and further authorize the disclosure of the information contained herein to its affiliates/group companies or their Authorized Agents or Third Party Service Providers in order to provide information and updates to the Borrower on various financial and investment products and offering.
- 14.4 Borrower's liability for repayment of the Outstanding Dues shall, in case where more than one Borrower have jointly applied for any Loan/ Facility, be joint and several;
- 14.5 Borrower shall execute all documents and amendments and shall co-operate with Lender as required by Lender (i) to comply with any RBI guidelines / directives or (ii) for giving Lender full benefit of rights under the Loan Documents. Without prejudice to the aforesaid the Borrower hereby irrevocably consents that on its failure to do so, such changes shall be deemed to be incorporated in the Loan Documents and shall be binding on the Borrower.
- 14.6 Notwithstanding any suspension or termination of any Facility, all right and remedies of Lender as per Loan Documents shall continue to survive until the receipt by Lender of the Outstanding Dues in full.
- 14.7 The Parties hereto confirm and acknowledge that this Agreement, and the Annexure(s) herein, constitute the entire agreement between them and shall supersede and override all previous communications, either oral or written, between the parties with respect to the subject matter of this Agreement, and no agreement or understanding varying or extending the same shall be binding upon any Party hereto unless arising out of the specific- provisions of this Agreement;
- 14.8 The Borrower acknowledges that the Interest Rate, Penal Charges and other charges payable and or agreed to be paid by the Borrower under Loan Documents are reasonable and acceptable to him/her
- 14.9 The Borrower expressly recognizes and accepts that Lender shall, without prejudice to its rights to perform such activities itself or through its office employees, be entitled and has full power and authority so to appoint one or more third parties (hereinafter referred to as "Lending Service Providers") as Lender may select and to delegate to such party all or any of its functions, rights and power under Loan Documents relating to the sourcing, identity and verification of information pertaining to the Borrower administration, monitoring of the Loan/ Facility and to perform and execute all lawful acts, deeds, matters and things connected therewith and incidental thereto including sending notices, contacting Borrower, receiving Cash / Cheques/ Drafts / Mandates from the Borrower in favor of Lender;
- 14.10 The Borrower acknowledges that the loan transaction hereunder gives rise to a relationship of debtor and creditor as between him / her and Lender and not in respect of any service rendered/to be rendered by Lender. Accordingly, the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 shall not apply to the transaction hereunder.
- 14.11 The Borrower hereby authorizes Lender to verify all information and documents including, income proof documents, residence documents, address proof documents, identity documents



and other such documents containing personal and financial information as are submitted by them for obtaining any Loan/ Facility and that they also consent to subsequent retention of the same by Lender.

- 14.12 The Borrower acknowledges and authorizes Lender to procure Borrower's PAN No./copy of Pan Card, other identity proof and Bank Account details, from time to time and to also generate / obtain Credit Reports from Credit Information Bureaus and such other reports as and when Lender may deem fit. The Borrower also hereby gives consent and authorizes Lender to undertake its KYC verification by Aadhar e-KYC or otherwise and undertake all such actions as may be required on its behalf or otherwise to duly complete the process of such verification including by way of Aadhar e-KYC and share such information with any authority and store such information in a manner it deems fit.
- 14.13 The Borrower acknowledges that the Lender may conduct a regular credit quality assessment of the Borrower every two (2) years to evaluate his/her financial performance and repayment capacity. The Lender shall also have the right to review the Borrower's credit behavior with other financial institutions or lenders at any time. Based on this assessment, the Lender reserves the right to reduce the sanctioned loan limit or terminate the loan facility if the Borrower's financial condition is found to be unsatisfactory.
- 14.14 In the event of any disagreement or dispute between Lender and the Borrower regarding the materiality of any matter including of any event occurrence, circumstance, change, fact information, document, authorization, proceeding, act, omission, claims, breach, default or otherwise, the opinion of Lender as to the materiality of any of the foregoing shall be final and binding on the Borrower.
- 14.15 The Borrower and Lender may mutually agree on grant of a fresh Loan on the terms and conditions of the Agreement and by execution of such further letter/undertaking by the Borrower as may be required by Lender.
- 14.1 ऋणदाता के रिकॅार्ड में की गई प्रविष्टियां मौजूदा और बकाया राशि के लिए निर्णायक साक्ष्य मानी जाएंगी और ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी देय ऋण राशि का विवरण ऋणकर्ता द्वारा स्वीकार्य होगा।
- 14.2 ऋणकर्ता एतद् द्वारा घोषित करता है कि उसने इस समझौते और ऋण दस्तावेज को पढ़ा है और समझ गया है और इस ऋण दस्तावेज पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया है।
- 14.3 ऋणकर्ता एतद् द्वारा ऋणदाता या उसके अधिकृत एजेंटों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को अनुमित देता है कि वे उसके द्वारा दी गई जानकारी डाटा का उपयोग करके किसी भी संचार माध्यम से उससे सम्पर्क कर सकते हैं। पर ये माध्यम ई-मेल, टेलीफोन, एसएमएस इत्यादि तक सीमित नहीं होंगे तथा उसे अधिकृत करता है कि इसके साथ साथ वह सूचना देने के उद्देश्य से यहां उपलब्ध सूचनाओं का प्रकटन अपने से संबद्ध लोगों/ समूह कम्पनियों या अपने अधिकृत एजेंटों या तीसरी पार्टी के सर्विस प्रोवाइडर के सम्मुख कर सकता है और वह ऋणकर्ता को विभिन्न वित्तीय एवं निवेश सम्बन्धी उत्पादों और उससे संबद्ध प्रस्तावों की अद्यतन जानकारी देगा।
- 14.4 यदि एकाधिक ऋणकर्ताओं ने किसी ऋण/ सुविधाओं के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया है तो बकाया राशि के पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी भी संयुक्त रूप से उन सभी की होगी।
- 14.5 ऋणकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों का पालन करेगा और ऋणदाता की आवश्यकता के अनुसार उससे सहयोग करेगा (1) आरबीआई के किसी भी दिशानिर्देश/ सुझाव का पालन करना (2) ऋण दस्तावेजों में दिए गए अधिकारों का पूरा लाभ ऋणदाता को देना। उसके प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ऋणकर्ता एतद द्वारा अटल रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल रहने पर इन परिवर्तनों को ऋणदस्तावेजों में सम्मिलित कर लिया जाएगा और ऋणकर्ता के लिए वे बाध्यकारी होंगे।
- 14.6 किसी भी सुविधा के निलम्बन या समाप्ति के बाद भी ऋण दस्तावेज में वर्णित ऋणकर्ता के सभी अधिकार और उपाय तब तक बने रहेंगे जब तक उसे पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं हो जाती।
- 14.7 दोनों पक्ष एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं कि समझौता और उसके संलग्नक उनके बीच हुए समझौते को पूरा करते हैं और वे दोनों पक्षों के बीच समझौते की विषय वस्तु से संबद्ध पहले के सभी मौखिक



या लिखित संसूचनाओं को स्थानापन्न और निरस्त करते हैं। साथ ही समझौता या सहमित में कोई भी बदलाव या उसका विस्तार किसी भी पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वे इस समझौते के विशिष्ट प्रावधानों से उद्भुत न हों।

14.8 ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि ब्याजदर, दंडात्मक शुक्क और अन्य कोई भी देय शुक्क या ऐसा कोई शुक्क जो ऋण दस्तावेज के तहत है और जिसे अदा करने के लिए ऋणकर्ता सहमत है, ये सभी उसके लिए उचित

और बाध्यकारी हैं।

14.9 ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से मानता और स्वीकार करता है कि ऋणदाता को बिना किसी पूर्वाग्रह के यह अधिकार है कि वह स्वयं या अपने कर्मचारियों द्वारा एक, या एक से अधिक किसी तीसरे पक्ष (इसके बाद इन्हें 'लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर' के रूप में जाना जाएगा) की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि ऋणदाता ऐसी पार्टियों को चुन सकता है और इस तरह की गतिविधियों के संचालन के अपने अधिकारों को ऐसी किसी चयनित पार्टी को सम्पूर्ण या आंशिक रूप से अपने कार्य, अधिकार और शक्तियां सौंप सकता है जिनका ऋण दस्तावेजों के अनुसार सम्बन्ध सोर्सिंग, पहचान एवं ऋणकर्ता के प्रबन्धन से सरोकार रखने वाली सूचना के सत्यापन, ऋण सुविधा का नियंत्रण एवं सभी कानूनी अधिनियमों के संपादन और क्रियान्वयन से है, बैनामा, मामला और हाल जिनका सम्बन्ध सूचना भेजे जाने से है, ऋणकर्ता से सम्पर्क करने से, ऋणदाता के पक्ष में ऋणकर्ता द्वारा प्रेषित नगद/ चेक/ डाफ्ट/ आदेश पत्र प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है एवं आनुषांगिक है।

14.10 ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि ऋण का लेन देन उसके और ऋणदाता के बीच लेनदार और देनदार के रिश्ते को जन्म देता है न् कि ऋणदाता द्वारा प्रदान की गुई या प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के बीच। तदनुसार

कंज्यूमर प्रोटेक्श्न ऐक्ट 1986 के प्रावधान इस लेन देन के संदर्भ में लागू नहीं होंगे।

14.11 ऋणकर्ता एतद् द्वारा ऋण दाता को अधिकृत करता है कि वह ऋणकर्ता के आय प्रमाण, निवास प्रमाण, पता प्रमाण, पहचान प्रमाण से संबद्ध दस्तावेजों तथा उसके व्यक्तिगत एवं वित्तीय सूचना से संबद्ध दस्तावेजों की जांच कर सकता है, जिन्हें उसने ऋण/सुविधा प्राप्त करने के लिए जमा किया था और इस बात का भी अधिकार देता है कि वह आने वाले समय के लिए भी उनका प्रतिधारण कर सकता है।

- 14.12 ऋणकर्ता सहमित देता है और ऋणदाता को अधिकृत करता है कि जब भी ऋणदाता को उचित लगे वह ऋयणकर्ता का पैन नम्बर/ पैन कार्ड की प्रतिलिपि, पहचान का अन्य प्रमाण और बैंक खाता का विवरण समय समय पर हासिल कर सकता है तथा क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो से क्रेडिट रिपोर्ट तथा इसी प्रकार की अन्य रिपोर्ट भी तैयार करा सकता है/ प्राप्त कर सकता है। ऋणकर्ता एतद् द्वार सहमित देता है और अधिकृत करता है कि ऋणदाता आधार से केवाईसी या अन्य किसी माध्यम से केवाईसी का सत्यापन करा सकता है। आवश्यकता के अनुसार आधार ई-केवाईसी सिहत अन्य किसी भी सत्यापन प्रक्रिया को स्वयं पूरा करने या अन्य किसी प्रकार पूरा कराने का दायित्व ले सकता है और ऐसी जानकारी को वह किसी भी अधिकृत व्यक्ति के साथ साझा कर सकता है और जैसा उचित हो उस तरीके से जानकारी को संरक्षित कर सकता है।
- 14.13 ऋणकर्ता यह स्वीकार करता/करती है कि ऋणदाता प्रत्येक दो (2) वर्षों में ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति और पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित ऋण गुणवत्ता आकलन कर सकता है। ऋणदाता को किसी भी समय अन्य वित्तीय संस्थानों या ऋणदाताओं के साथ ऋणकर्ता के ऋण व्यवहार की समीक्षा करने का अधिकार होगा। इस आकलन के आधार पर, यदि ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक पाई जाती है, तो ऋणदाता को स्वीकृत ऋण सीमा को कम करने या ऋण सुविधा को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 14.14 ऋणदाता और ऋणकर्तों के बीच किसी भी मुद्दे, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य की सूचना, दस्तावेज, अधिकार, कार्यवाही, कार्य, भूल, दावा, मनमुटाव, ऋण अदायगी की चूक या अन्य किसी सम्बन्ध में असहमित या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उपरोक्त सभी मुद्दों पर ऋणदाता की राय अनन्तिम होगी और ऋणकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी।
- 14.15 ऋणकर्ता और ऋणदाता समझौते के नियम और शर्तों के आधार पर नए ऋण के लिए सहमत हो सकते हैं। और तत् सम्बन्धी पत्र/ ऋणकर्ता द्वारा दायित्व लेने, इन दोनों में से जैसा ऋणदाता को उचित लगे उसके निष्पादन के बाद ही यह सम्भव होगा।

15. ELECTRONIC FORM – COMMUNICATION IN ELECTRONIC FORM/ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म- इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संचार



- 15.1 Borrower acknowledges and agrees that any request, notice, correspondence or any other writing whatsoever ('Writing') required or contemplated under this Agreement may be executed and any delivery, offer, acceptance or any other action whatsoever ("Action") in respect of this Agreement may be undertaken in electronic form by way of communication through Digital Lending Application (DLA) or any other electronic means of executing or authenticating transactions ('Electronic Form') as may be enabled by Lender. For avoidance of doubt, it is clarified that communications in Electronic Form include any Writing or Action undertaken on any technology platform, Digital Lending Application (DLA) or website provided by the Lender.
- 15.2 Borrower hereby further confirms that any Writing or Action made or undertaken by Borrower in Electronic Form shall be valid, binding and legally enforceable against them and it shall not raise any objection or claim or disclaim any liability under or in relation to the validity or enforceability of a Writing or Action solely on account of it being in Electronic Form.
- 15.3 The Borrower has entered into this Agreement and has electronically or otherwise signed this Agreement out of the Borrower's own free consent and no undue influence or coercion has been exercised upon the Borrower to do so.
- 15.4 In case the Borrower intends to receive any Loan Document in a language other than English, they shall inform the Lender by writing at chat@vivamoney.in.
- 15.1 ऋणकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि इस समझौते के तहत किसी भी आवेदन,नोटिस, पत्राचार,या अन्य किसी भी तरह का लेखन ('राइटिंग') चाहे उसकी जरूरत हो या आने वाले समय में अपेक्षित हो, उसका और अन्य किसी डिलिवरी का निष्पादन, प्रस्ताव, स्वीकृति या अन्य कोई भी कार्यवाही जो कि इस समझौते के तहत आती हो, उसका निष्पादन करा लिया जाएगा और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन (डीएलए) के तहत अथवा ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों या नियमानुकूल प्रमाणित करने वाले लेन देन ('इलेक्ट्रानिक फॉर्म') जैसे माध्यमों द्वारा कराया जाएगा । किसी भी प्रकार के संशय को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रानिक फॅार्म द्वारा किए जाने वाले संचार में ऋणदाता द्वारा उपलब्द्ध कराए गए तकनीकी प्लेटफॅार्म, डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन (डीएलए) या वेबसाइट के माध्यम से किया गया कोई भी लेखन या उपयोग में आई कार्यवाही सम्मिलत हैं।
- 15.2 ऋणकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि इलेक्ट्रानिक रूप में उसके द्वारा किया गया या दायित्व लिया गया कोई भी लेखन या कार्य उनके विरुद्ध मान्य और बाध्यकारी होगा और उसके विरुद्ध कानूनी रूप से लागू किया जा सकेगा। उनके इलेक्ट्रानिक रूप में होने मात्र से ऋणकर्ता न कोई आपत्ति करेगा या न तो लेखन या कार्य की वैधता या प्रवर्तनीयता के संदर्भ में न तो अधियाचना करेगा और न ही अस्वीकृति देगा।
- 15.3 ऋणकर्ता ने इस समझौते को स्वीकार किया है और अपनी सहमति से इस पर इलेक्ट्रानिक रूप से अन्यथा इस पर हस्ताक्षर किया है और ऐसा करने के लिए उस पर कोई अनुचित प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।
- 15.4 यदि ऋणकर्ता को कोई भी ऋण सम्बन्धी दस्तावेज अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में चाहिए तो उसे ऋणदाता को लिखित रूप में <u>chat@vivamoney.in</u> पर सूचित करना होगा।

16. SEVERABILITY/ सेवरेबिलिटी

The Borrower acknowledges that each of his /her obligations under these Loan Documents is independent and severable from the rest.

ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि उसके ऋण दस्तावेजों का हर इकरारनामा स्वतंत्र है और दूसरों से भिन्न है।

17. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM/ शिकायत निवारण तंत्र

17.1 Grievance Submission:

In the event of any grievances or complaints arising out of or in connection with this Loan Agreement, the Borrower may submit a written complaint to the Nodal Grievance Redressal Officer (**GRO**). The complaint may be submitted via email, postal mail, or through the Lender's designated online portal.



17.2 Resolution Process:

The Lender shall investigate the grievance and endeavor to resolve it within 5 (five) business days from the date of complaint raised. The GRO may contact the Borrower for additional information or clarification, if required.

17.3 Communication of Resolution:

Upon resolution of the grievance, the Lender shall communicate the decision to the Borrower in writing.

17.4 Escalation:

If the Borrower is not satisfied with the resolution provided, they may escalate the matter to the Lender's Principal Nodal Officer details of which are provided on website of the Lender.

17.5 Contact Details:

The Borrower may contact the Grievance Redressal Officer at the following details:

Name: Mr. Ram Prasad Aryal

Address: 7th Floor, Vatika Triangle, Mehrauli-Gurgaon Road, Block B,

Sushant Lok Phase I, Gurugram, Haryana, 122002

Contact Number: +91-1244466513 Email address: <u>VivaGRO@fincfriends.in</u>

17.1 शिकायत दर्जः

इस ऋण समझौते के बारे में या उससे उत्पन्न किसी परिवेदना या शिकायत होने की स्थिति में ऋणकर्ता नोडल शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से लिखित शिकायत कर सकता है। वह ई-मेल, डाक या ऋणदाता के नामित पोर्टल के जरिए भी शिकायत कर सकता है।

17.2 समाधान प्रक्रियाः

ऋणदाता मामले की जांच करेगा और 5 (पांच) कार्यकारी दिनों के भीतर शिकायत के समाधान का प्रयास करेगा। जीआरओ अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋणकर्ता से सम्पर्क कर सकता है।

17.3 संकल्प की सूचना:

शिकायत का समाधान होने पर ऋणदाता इसकी सूचना ऋणकर्ता को लिखित रूप में देगा।

17.4 शिकायत वृद्धिः

यदि ऋणकर्ता प्रस्तुत किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं होता तो वह इसकी सूचना प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को दे सकता है, जिसका विवरण ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

17.5 संपर्क विवरण:

ऋणकर्ता शिकायत निवारण अधिकारी से शिकायत करने के लिए निम्न विवरण के आधार पर उससे सम्पर्क कर सकता है:

नाम: श्री राम प्रसाद आर्यल

पताः 7वीं मंजिल, वाटिका ट्रायंगल, महरौली-

गुड़गांव रोड़, ब्लॉक बी, सुशांत लोक फेज़-1,

गुरुग्राम, हरियाणा, 122002 **संपर्क सूत्र**: +91-1244466513

ई-मेल पताः VivaGRO@fincfriends.in

18. NOTICES/ नोटिस

Any notice under this Agreement must be in writing and shall be deemed to be received (a) on delivery, when delivered personally, and when sent from/ to the registered email id unless 'delivery failure notification' is received by the sender; (b) on the 3rd (third) day post-dispatch, when sent by registered post at the registered/ current address, postage prepaid. For the Lender, registered email id shall be info@fincfriends.in and office address shall be 1/2, Lalitha Nilaya, 4th Cross, RMV-II Stage, Bhoopsandra, Bengaluru, Bangalore, Karnataka-560094 or Corporate Office at Vatika Triangle, 7th Floor, Mehrauli Gurgaon Road, Sushant Lok I, Block B, Gurugram, Haryana - 122002 and addressed to



Collection Manager at given address.

इस समझौते से संबद्ध किसी भी नोटिस का लिखित रूप में होना अवश्यक है और माना जाता है कि उसे प्राप्त किया जाएगा (a) डिलीवरी जब व्यक्तिगत रूप से की गई हो और जब उसे किसी पंजीकृत ई-मेल आईडी द्वारा/ पर भेजा गया हो सिवाय जब तक प्रेषण करने वाले को डिलीवरी के विफल हो जाने की सूचना प्राप्त न हो जाए; (b) भेजे जाने के बाद तीसरे दिन जब उसे रिजस्टर्ड पोस्ट द्वारा पंजीकृत वर्तमान पते पर प्री पेड पोस्टेज द्वारा भेजा जाए। ऋणदाता के लिए पंजीकृत ई-मेल आईडी info@fincfriends.in और ऑफिस का पता 1/2 लिलता निलय, 4 जी क्रास आरएमवी- फेज़ भूपसंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560094 या सातवीं मंजिलए वाटिका ट्रैंगल ए महरौली गुड़गांव रोड़ ब्लॉक बी सुशान्त लोक फेज़ 1 गुरुग्राम 122002 और उसका सम्बोधन वहां पर उपलब्ध कलेक्शन मैनेजर को किया गया हो।

19. ARBITRATION/ मध्यस्थता

In the unlikely event of any dispute or difference arising between the Parties hereto as to the rights and obligations under this Agreement or as to any claim, monetary or otherwise of one Party against the other or as to the interpretation and effect of any terms and conditions of this Agreement such dispute or difference shall be settled amicably at first level. In the event such dispute or claim cannot be settled by the Parties within thirty (30) days after written notification by one Party of the existence of such dispute or claim, then such dispute shall be referred to Arbitration of a common Arbitrator if agreed upon, otherwise to two or more Arbitrators, one to be appointed by each of the Parties to this Agreement and such Arbitrator shall be governed by the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 as at present in force and as may be amended from time to time. The seat for such Arbitration shall be in India at Bengaluru. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. The award rendered by the arbitrators shall be final and binding upon both Parties and may be executed through any court of competent jurisdiction forthwith. Each Party shall bear its own expenses and attorneys' fees in connection with the arbitration.

इस समझौते के तहत अधिकारों एवं दायित्वों को ले कर किसी असम्भाव्य स्थिति में दोनों पार्टियों के बीच विवाद या मतभेद होने पर या किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी के विरुद्ध धन सम्बन्धी या अन्यथा कोई दावा होने पर या इस समझौते के किन्हीं नियम और शर्तों की व्याख्या और प्रभाव के कारण कोई विवाद हो तो ऐसे विवाद अथवा मतभेद पहले चरण में ही परस्पर सौहार्द्र पूर्ण ढंग से सुलझा लिए जाएंगे। दोनों पार्टियों के बीच किसी विवाद या दावा होने की स्थिति में जब कि किसी एक पार्टी द्वारा लिखित अधिसूचना दिए जाने के 30 दिनों के उपरान्त भी यदि उस दावे या मतभेद का निस्तारण नहीं किया जा सका हो तब ऐसी स्थिति में उस मतभेद को मध्यस्थता के लिए किसी ऐसे मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए जिसका चयन दोनों पार्टियों की सहमति से किया गया हो और ऐसा न होने की स्थिति में दो या उससे अधिक मध्यस्थों के पास भेजा जाना चाहिए जिसमें इस समझौते से सम्बद्ध प्रत्येक पार्टी द्वारा कम से कम एक मध्यस्थ का चुनाव किया गया हो और ऐसी मध्यस्थता का संचालन प्रोविशंनस् ऑफ आर्बिट्रेशन ऐण्ड कॉसिलिएशन ऐक्ट, 1996 के अनुसार किया जाएगा एवं समयानुसार इसका संशोधन किया जा सकता है। ऐसी किसी मध्यस्थता का स्थान भारत में बेंगलूरु शहर होगा । इस मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय दोनों पक्षों के लिए अनन्तिम और बाध्यकारी होंगे और इनका अनुपालन किसी भी सम्बद्ध अधिकार वाली सक्षम अदालत से करा लिया जाएगा। प्रत्येक पार्टी द्वारा मध्यस्थता से संबद्ध अपना व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क का वहन स्वयं किया जाएगा।

20. ASSIGNMENT/ कार्यभार

The Borrower shall not be permitted to assign any of its rights and obligations under this Agreement. The Lender shall however be entitled and have the right to assign its rights and obligations under this Agreement. Notwithstanding any such assignment or transfer, the Borrower shall, unless otherwise notified by the Lender, continue to make all payments under the Loan Documents to the Lender and all such payments when made to the Lender shall constitute a full discharge to the Borrower from all its liabilities in respect of such payments.



इस समझौते के तहत ऋणकर्ता को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य को सौंप दे, जबिक ऋणदाता को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य को सौंप सके। ऐसे किसी हस्तांतरण अथवा नियुक्ति होने के उपरान्त भी ऋणकर्ता इस दस्तावेज के तहत आने वाले सभी भुगतानों का निष्पादन तब तक करता रहेगा जब तक ऋणदाता उसको ऐसा न करने के लिए अधिसूचित नहीं कर देता और ऐसी स्थिति में जब तक ऋणदाता को किए गए सभी भुगतान ऋणकर्ता की ऋण अदायगी से संबद्ध सभी जिम्मेदारियों का सम्पूर्ण निर्वहन न हो जाए।

21. WAIVER/ अधित्याग

The Parties agree that any delay or omission by the Lender in exercising any of its rights under this Agreement shall not be construed as waiver. The Lender has the sole discretion to waive any fee/interest/charges in relation to the Loan.

दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते के तहत ऋणदाता द्वारा प्राप्त अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने में देरी या चूक को छूट के रूप में नहीं लिया जाएगा। ऋणदाता को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने विवेक के आधार पर शुल्क/ व्याज/ ऋण से सम्बद्ध किसी भी प्रभार में छूट दे।

22. AMENDMENT/ संशोधन

Subject to applicable laws, Lender shall have the sole discretion to amend any terms of this Agreement, Schedule I which shall be prospectively binding on the Borrower.

प्रयोज्य कानूनों के तहत ऋणदाता को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने विवेक के अनुसार इस समझौते के शेड्यूल 1 की शर्तां में संशोधन कर सकता है एवं ऋणकर्ता पर यह संशोधन उत्तरव्यापी प्रभाव से बाध्यकारी होगा।

23. GOVERNING LAW/ शासी कानून

This Agreement shall be governed in accordance with Indian laws and the Parties shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts at Bengaluru. The Lender in addition shall have the right to file a criminal complaint/FIR against the Borrower and/ or resort to other rights available under law, in case of any fraud, misrepresentation and/ or breach of this Agreement.

यह समझौता भारतीय कानून के तहत संचालित होगा और दोनों पक्ष बेंगलुरु की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त ऋणदाता ऋणकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत/ एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत होगा और/ या किसी भी धोखाधड़ी, गलतबयानी या इस समझौते के उल्लंघन की स्थिति में वह कानूनन अन्य अधिकारों को अपनाने के लिए भी अधिकृत होगा।

24. LOAN AGREEMENT TERM AND RENEWAL

This Loan Agreement shall remain valid and in full force for a period of six (6) years from the date it is signed by the Borrower ("Date of Acceptance"). Upon the expiry of this period, the Borrower shall be required to execute a new loan agreement for the continuation of the loan facility. Failure to execute a new agreement may result in the termination of the loan facility, subject to the terms and conditions set forth herein.

यह ऋण समझौता, ऋणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि ("स्वीकृति तिथि") से छह (6) वर्षों की अवधि तक प्रभावी और लागू रहेगा। इस अवधि की समाप्ति पर, ऋण सुविधा की निरंतरता के लिए ऋणकर्ता को एक नया ऋण समझौता निष्पादित करना आवश्यक होगा। नए समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफलता होने पर, यह ऋण सुविधा की समाप्ति का कारण बन सकता है, जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Agreement on the day and year as mentioned in



इनके साक्ष्य में दोनों पार्टियों ने शेड्यूल 1 में वर्णित वर्ष एवं तिथि को समझौते का कार्यान्वयन किया है।

SIGNED SEALED AND DELIVERED by the within named Borrower and Lender/ नामित ऋणकर्ता और ऋणदाता द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और वितरित

| Borrower/ ऋणकर्ता | Lender/ ऋणदाता |
|--|--|
| Loan Agreement Time Stamp/ ऋण समझौते के समय की मुहर Loan Agreement Customer IP/ ऋण समझौते के कस्टमर की आईपी | Loan Agreement Time Stamp/ ऋण समझौते के समय की मुहर |
| Date of Acceptance/ स्वीकृति की तिथि: | Date of Acceptance/ स्वीकृति की तिथि: |

Digitally Signed by: **FincFriends Private Limited** डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित: फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Date/ तिथि:



Schedule I / शेड्यूल I

| Loan Agreement Date/ ऋण समझौते की तिथि | ххх | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|
| Borrower Details/ ऋणकर्ता का विवरण | | | | | |
| Name/नाम | ххх | | | | |
| Address/पता | ххх | | | | |
| Permanent Account Number (PAN) परमानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) | ххх | | | | |
| Email ID/ईमेल आईडी | ххх | | | | |
| Phone number/ फोन नम्बर | ххх | | | | |
| Loan D | Loan Details/ ऋण का विवरण | | | | |
| Loan Account Number (LAN)/ लोन अकाउंट नम्बर (एलएएन) | ххх | | | | |
| Sanctioned Loan Limit (in INR)/ स्वीकृत ऋण की सीमा (भारतीय रुपए में) | ххх | | | | |
| Annual Rate of Interest (in %)/ वार्षिक ब्याज की दर (% में) | ххх | | | | |
| Processing Fee* (in % or INR) / प्रसंस्करण शुल्क (%या भारतीय रुपए में) | ххх | | | | |
| Cooling off/Look up Period कूलिंग ऑफ / लुक अप पीरियड | ххх | | | | |

* All charges are exclusive of GST/ सभी शुल्क जीएसटी रहित हैं

| CONTINGENT CHARGES/ प्रासंगिक शुल्क | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| Penal Charges (in INR)/ | ххх | | | |
| दंडात्मक शुल्क (भारतीय रुपए में) | | | | |
| SMS Charges* (in INR)/ | ххх | | | |
| एसएमएस शुल्क* (भारतीय रुपए में) | | | | |
| EMI reschedule Fee* (in INR)/ | ххх | | | |
| ईएमआई पुनर्निर्धारण शुल्क* (भारतीय रुपए में) | | | | |
| Optional term fee* (in INR)/ | ххх | | | |
| वैकल्पिक टर्म शुल्क* (भारतीय रुपए में) | | | | |
| Early Repayment/Foreclosure Charges (in %)/ | ххх | | | |
| समय से पहले पुनर्भुगतान/ फोर क्लोज़र शुल्क (% में) | | | | |
| Limit increasing fee* (in INR)/ | ххх | | | |
| सीमा बढ़ाने का शुल्क* (भारतीय रुपए में) | | | | |

* All charges are inclusive of GST/ सभी शुल्क जीएसटी रहित हैं

¹ The Processing Fee is charged on each disbursal by the Lender for facilitating the transactions. Therefore, the Processing Fee is nonrefundable irrespective of the fact whether the Borrower decides within the Cooling Off period not to continue the Loan or decides to continue the Loan.

¹ लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋणदाता द्वारा हर संवितरण पर प्रसंस्करण शुल्क लिया जाता है। ऋणकर्ता कूलिंग ऑफ अविध के भीतर ऋण जारी नहीं रखने का निर्णय लेता है या ऋण जारी रखने का निर्णय लेता है इससे निरपेक्ष रह कर प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।




| | Sanction Letter/ अनुमोदन पत्र | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| То | , Date/ तिथि: | | | | | | |
| | r./Ms. | | | | | | |
| Ad | dress/ पता: | | | | | | |
| Su | b: Sanction Letter/ अनुमोदन पत्र | | | | | | |
| | e refer to your loan application number We are glad to inform you that your loan has been nctioned and the details thereof are as follows: | | | | | | |
| | । आपके ऋण आवेदन संख्या का उल्लेख करते हैं। हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके ऋण । अनुमोदन हो गया है और उसका विवरण निम्न प्रकार है: | | | | | | |

| Borrower Details/ ऋणकर्ता का विवरण | | | | |
|------------------------------------|----|--|--|--|
| Name of Borrower/ ऋणकर्ता का नाम | xx | | | |
| PAN/ पैन | xx | | | |
| Email Id/ ईमेल आईडी | xx | | | |
| Phone number/ फोन नम्बर | xx | | | |
| Type of customer/ ग्राहक का प्रकार | XX | | | |

| Loan Details/ ऋण का विवरण | | | |
|---|----|--|--|
| Application Number/ आवेदन संख्या | хх | | |
| Loan Account No./ ऋण खाता संख्या | хх | | |
| Sanctioned Loan Limit (in INR)/ ऋण की स्वीकृत सीमा (भारतीय रुपए में) | XX | | |
| Annual Rate of Interest (in %)/ वार्षिक व्याज दर (% में) | хх | | |
| Processing Fee* (in %) प्रसंस्करण शुल्क *(% में) | хх | | |
| Cooling Off/ Look Up Period (in Days)/ कूलिंग ऑफ / लुक अप पीरियड (दिनों में) | XX | | |
| Note: * All charges are exclusive of GST/ सभी शुल्क जीएसटी रहित हैं | | | |

Please note that the Sanctioned Loan Limit is a revolving credit line. This sanction is an in-principle conditional sanction subject to successful completion of verification of your KYC details and any other applicable checks as may be deemed necessary by the Company. The detailed terms and conditions are provided in the Loan Agreement. You are requested to read through them carefully before availing the Loan.





कृपया नोट करें कि यह अनुमोदित ऋण परिक्रामी क्रेडिट लाइन है। सैद्धान्तिक रूप से यह अनुमोदन सशर्त अनुमोदन है कारण यह आपके केवाईसी के विवरण के सत्यापन तथा कम्पनी को आवश्यक लगने वाले परीक्षण के बाद ही अनन्तिम होगा। विस्तृत नियम और शर्त समझौते में दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि ऋण सुविधा लेने के पहले इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

Thanking you/ धन्यवाद

Fincfriends Private Limited/ फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड Digitally Signed by: **FincFriends Private Limited** डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित: फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Date/तिथि:



Key Fact Statement / मुख्य तथ्यों का विवरण

Date/तिथि: XX/XX/XXXX

Name of the Regulated Entity: Fincfriends Private Limited विनियमित इकाई का नाम: फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड Applicant Name/आवेदक का नाम: XX/XX/XXXX

Key Facts Statement/ मुख्य तथ्यों का विवरण

| 1 | Loan proposal/account N | lo./ | xx | Type of Loan/ | xx | |
|--------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या | | | ऋण का प्रकार | | |
| 2 | Sanctioned Loan amount (in Rupees) / स्वीकृत ऋण राशि (रुपए में) | | | xx | | |
| 3 | Disbursal schedule | | | XX | (| |
| | (i) Disbursement in stage | = | | | | |
| | (ii) If it is stage wise, | | | | | |
| | agreement having rel संवितरण का शेड्युल | evant details. / | | | | |
| | (i) चरणों में या 100% अ | rin vila vu | | | | |
| | _ | | | | | |
| | (ii) यदि यह चरणवार है सम्बन्धी विवरण के साथ | | खंड का तत् | | | |
| 4 | Loan term (year/months | | | | xx | |
| • | ऋण की अवधि (वर्ष/माह/वि | | | | AA. | |
| 5 | Instalment details / किस्त | | I. | | | |
| Туре о | f instalments/ | Number | EPI (₹)/ | Commencement of repa | yment, post sanction/ | |
| | का प्रकार | of EPIs/ | ईपीआई (₹) | स्वीकृति के बाद पुनर्भुगता | | |
| | | ईपीआई | | | | |
| | | की संख्या | | | | |
| XX | | XX XX | | xx | | |
| 6 | | pe (fixed or floating or hybrid)/ | | XX | | |
| 7 | | निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड) in case of Floating rate of interest | | / xx | | |
| , | फ्लोटिंग ब्याज दर के सम्बन | | | ^^ | | |
| 8 | Fee/ Charges | | | | | |
| | शुल्क/प्रभार | | | | | |
| | | Payable to t | | Payable to a third party through RE (B) / | | |
| | | आरई (ए) को देय | | आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय | | |
| | | One-time/ | Amount (in₹) or | One-time/ Recurring / | Amount (in ₹) or | |
| | | Recurring / | Percentage (%) as applicable | एक बार/आवर्ती | Percentage (%) as applicable/ | |
| | | एक बार/आवर्ती | (%) as applicable राशि (₹ में) या | | applicable/ राशि (₹ में) या प्रतिशत | |
| | | | प्रतिशत | | (%) जैसा लागू हो | |
| | | | प्रातशत (%) जैसा लागू ह | | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| (i) | Processing fees / | XX | XX | XX | XX | |
| 1.7 | प्रसंस्करण शुल्क | 77 | ^^ | ^^ | ^^ | |
| (ii) | Insurance charges / | XX | xx | xx | XX | |
| | बीमा शुल्क | | | | | |
| (iii) | Valuation fees / | XX | xx | xx | xx | |
| | मूल्यांकन शुल्क | | | | | |



| 9 | Annual Percentage Rate (APR) (%)/ वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%) | | xx | | |
|--------|---|--------------------------------|----|--|--|
| 10 | Details of Contingent Charges (in ₹ or %, as applicable) / प्रासंगिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो) | | | | |
| (i) | Penal charges, if any, in case of delayed pa यदि कोई विलम्बित भुगतान हो, तो उसके संदश | xx | | | |
| (ii) | Other penal charges, if any / अन्य दंडात्मक | xx | | | |
| (iii) | Foreclosure charges, if applicable /फोरक्ले | XX | | | |
| (iv) | Charges for switching of loans from floatin ऋणों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने औ लिए शुल्क | xx | | | |
| (v) | SMS Charges (Optional) / एसएमएस शुल्क (| XX | | | |
| (vi) | Term Fee (Optional) / टर्म शुल्क (वैकल्पिक) | xx | | | |
| (vii) | EMI reschedule Fee (Optional) / ईएमआई प् | पुनर्निर्धारण शुल्क (वैकल्पिक) | XX | | |
| (viii) | Limit Increase Fee (Optional) / ऋण सीमा वृ | द्धि शुल्क (वैकल्पिक) | XX | | |

Repayment Schedule/ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

| Installment No. / किश्त संख्या | Payment Date/ भुगतान तिथि | Outstanding Principal (in Rs) / बकाया मूलधन (रुपये में) | Principal (in Rs)/ मूलधन (रुपये में) | Interest (in Rs)/ ब्याज (रुपये में) | Processing Fee/ प्रसंस्करण संसाधन शुल्क | Instalment (in Rs) / किश्त (रुपये में) |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |